जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा हेतू
प्रस्ताव का आमंत्रण

India Infrastructure Finance Company Ltd.
A Govt. of India Enterprise
An ISO 9001:2015 Certified Company

इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड
वैबसाइट – **http://www.iifcl.in**

CIN: U67190DL2006GO1144520

निविदा संख्या *IIFCL/IAD/Proc/2023-24/02* **दिनांक 22.03.2024**

इस निविदा दस्तावेज के जवाब में बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी आईआईएफसीएल की संपत्ति बन जाएगी और वापस नहीं की जाएगी। आईआईएफसीएल को इस निविदा दस्तावेज को संशोधित करने, रद्द करने या पुनः जारी करने का अधिकार है। निविदा दस्तावेज़ तथा सभी संशोधनों से बोलिकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा तथा उक्त संशोधन बोलिकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होंगे।

(यह दस्तावेज आईआईएफसीएल की संपत्ति है। आईआईएफसीएल के लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा द्वारा कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके उद्देश्य के लिए आईआईएफसीएल को जवाब देने हेतू। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अधिकृत कर्मियों / एजेंसियों के द्वारा किया जाना भी सख्ती से प्रतिबंधित है और ऐसा किए जाने पर कॉपीराइट उल्लंघन का कारण होगा एवं भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा)

Request For Proposal (RFP)

For

Concurrent Audit

India Infrastructure Finance Company Ltd.
A Govt. of India Enterprise
An ISO 9001:2015 Certified Company

(Registered with RBI w.e.f 9th September 2013 vide Certificate of Registration no. DNBS.ND. No.1222/Regn. New/04 17 004/2013 – 14)

Regd. Office : 5th Floor, Plate A & B, Tower 2, NBCC Centre, East Kidwai Nagar, Delhi - 110023
Phone : +91-11-24662777, Fax : +91-11-20815125, 20815117
Website: www.iifcl.in
CIN : U67190DL2006GO1144520

Tender No. *IIFCL/IAD/Proc/2023-24/02* **Dated** 22.03.2024

THE INFORMATION PROVIDED BY THE BIDDERS IN RESPONSE TO THIS TENDER DOCUMENT WILL BECOME THE PROPERTY OF IIFCL AND WILL NOT BE RETURNED. IIFCL RESERVES THE RIGHT TO AMEND, RESCIND OR REISSUE THIS TENDER DOCUMENT AND ALL AMENDMENTS WILL BE ADVISED TO THE BIDDERS AND SUCH AMENDMENTS WILL BE BINDING ON THEM.

(This document is the property of IIFCL. It may not be copied, distributed or recorded on any medium, electronic or otherwise, without the IIFCL's written permission thereof, except for the purpose of responding to IIFCL for the said purpose. The use of the contents of this document, even by the authorized personnel / agencies for any purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited and shall amount to copyright violation and thus, be punishable under the Indian Law)

महत्वपूर्ण सूचना – साराशं

1) आरएफपी आईआईएफसीएल वेबसाइट www.iifcl.in **और जीईएम पोर्टल** पर प्रकाशित किया गया है। **आईआईएफसीएल** आरएफपी आवश्यकताओं को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, इस तरह के किसी भी बदलाव को आईआईएफसीएल वेब साइट पर पोस्ट किया(डाला) जाएगा।
2) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निविदा दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन और उसके निहितार्थों की पूरी समझ के साथ जांच करने के बाद बोलियों को प्रस्तुत करना माना जाएगा।
3) बोलीदाता की ओर से किसी भी स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप आवश्यकता में कोई बदलाव आईआईएफ़सीएल वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। इसलिए, बोलियां जमा करने से पहले, बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के स्पष्टीकरण/परिवर्तनों पर उनके द्वारा विचार किया गया है। यदि किसी बोलीदाता द्वारा कुछ चूक की जाती है तो आईआईएफसीएल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4) आईआईएफसीएल द्वारा बोली की जांच, मूल्यांकन और तुलना में सहायता के लिए आवश्यक किसी स्पष्टीकरण के मामले में, आईआईएफसीएल, अपने विवेक पर, बोलीदाता से स्पष्टीकरण मांग सकता है। प्रतिक्रिया / स्पष्टीकरण लिखित रूप में होगा और बोली के सामग्री की कीमत में कोई बदलाव की मांग, पेशकश या अनुमति नहीं दी जाएगी।
5) कृपया ध्यान दें कि बोली दस्तावेज के अनुसार आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में अधूरी जानकारी के कारण चयन नहीं हो सकता है।
6) संशोधन और/या बोलियों को वापस लेना:
एक बार जमा की गई बोलियों को अंतिम माना जाएगा और आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली जमा करने की समय सीमा के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोली लगाने वाला सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7) आईआईएफसीएल को बिना कोई कारण बताए प्राप्त की गई किसी भी या सभी निविदाओं / इस बोली प्रक्रिया को अस्वीकार करने का अधिकार है।

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	अस्वीकरण	6
1	निविदा सारांश	7-8
2	परिभाषाएँ	9
3	भूमिका	10
4	बोली का उद्देश्य	10
5	कार्य-क्षेत्र	10-12
6	निविदा की कार्यप्रणाली	12-13
7	प्रस्ताव	13
7.1	अर्हता के मापदंड	13-14
7.2	तकनीकी प्रस्ताव	15
7.3	वित्तीय प्रस्ताव	15-16
8	बोली खोलना और प्राप्त करना	16
9	बोली का मूल्यांकन	16
i.	तकनीकी मूल्यांकन	16-18
ii	वित्तीय मूल्यांकन	19
iii	तकनीकी वित्तीय मूल्यांकन	19
10	संविदा देना	20
11	निष्पादन प्रतिभूति	20
12	रिपोर्ट प्रस्तुत करना/प्रदेय	20-21
13	प्रदेयों की समयसीमा	21
14	शुल्क/भुगतान अनुसूची	21-22
15	दंडात्मक खंड	22
16	अनुबंध की अवधि	22-23
17	समापन	23-24
18	विवादों का समाधान	24
19	सफल बोलीदाता का दायित्व	24
20	कार्य का स्थान	24
21	अन्य नियम एवं शर्तें	24-29

	अनुलग्नक	अनुलग्नक
I	कार्य-क्षेत्र का विस्तृत विवरण	30-39
II	प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना	40-41
III	परियोजना अनुभव का प्रारूप	42
IV	हितों का टकराव नहीं होने का प्रमाणपत्र सह घोषणापत्र	43
V	सत्यनिष्ठा अनुबंध	44-50
VI	बोलीदाता के बैंक विवरण का प्रपत्र	51
VII	वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पत्र	52-53
VIII	निष्पादन प्रतिभूति के लिए प्रोफार्मा का प्रारूप	54-55
IX	बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला क्षतिपूर्ति और गोपनीयता घोषणापत्र	56
X	सूचना का प्रारूप	57-58
XI	बोली का प्राधिकार पत्र	59

अस्वीकरण

इस प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज़ में शामिल सूचना अथवा इसके उपरांत बोलीदाता(ओं) को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) द्वारा अथव इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की ओर से बोलीदाता(ओं) अथवा आवेदकों को मौखिक रूप से या दस्तावेजी स्वरूप में प्रदान की गई सूचना, इस आरएफपी दस्तावेज़ में निर्धारित नियम व शर्तों एवं ऐसी सूचना प्रदान किये जाने वाले अन्य सभी नियम व शर्तों पर दी गई है।

यह आरएफपी दस्तावेज़ करार नहीं है एवं न तो एक प्रस्ताव है और न ही आईआईएफसीएल द्वारा प्रस्ताव हेतु आमंत्रण है। इस आरएफपी का उद्देश्य ऐसे आवेदकों से प्रस्ताव आमंत्रित करना है जो बोलियां ("बोलीदाता") प्रस्तुत करने के पात्र हैं। इस आरएफपी का मुख्य उद्देश्य बोलीदाता को जानकारी प्रदान करना एवं उनके प्रस्तावों ("बोलियाँ") का प्रतिपादन करने में उनकी सहायता करना है। यह आरएफपी ऐसी सभी सूचनाओं को समाहित करने का दावा नहीं करता है, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक बिडर को पड़ सकती है। प्रत्येक बोलीदाता प्रतिपूर्ति का दावा करने के अधिकार के बिना अपनी लागत पर, अपनी स्वयं की जांच, विश्लेषण करे एवं इस आरएफपी में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता व पूर्णता की जांच करे तथा जहां भी आवश्यकता महसूस हो स्वतंत्र सलाह प्राप्त करे। आईआईएफसीएल कोई प्रत्यावेदन अथवा आश्वासन नहीं देता है एवं इस आरएफपी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, विधान, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व का वहन नहीं करेगा।

इस आरएफपी दस्तावेज़ में शामिल सूचना चयनात्मक है एवं अद्यतन, विस्तार, आशोधन व संशोधन के अधीन है। आईआईएफसीएल किसी भी बोलीदाता को किसी भी अतिरिक्त सूचना तक पहुँच प्रदान करने या इस आरएफपी दस्तावेज़ में सूचना का अद्यतन करने अथवा किसी भी अशुद्धि को ठीक करने यदि कोई हो, जो सामने आ सकती है, का वचन नहीं देता है। आईआईएफसीएल के पास बिना कोई कारण बताए, जो भी हो, इस आरएफपी एवं/अथवा बोली प्रक्रिया के किसी भी या सभी प्रावधानों को बदलने, संशोधित करने, जोड़ने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है। इस तरह के बदलाव से सभी बोलीदाताओं को अवगत अथवा सुलभ कराया जाएगा अथवा ऐसे बदलाव आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। आईआईएफसीएल द्वारा इस आरएफपी दस्तावेज में शामिल कोई भी जानकारी बोलीदाता (ओं) को उस विषय पर किसी भी उपलब्ध/सुलभ कराकर लिखित जानकारी के बाद हटा ली जाएगी।

इस आरएफपी में आईआईएफसीएल द्वारा प्रदान की गई सूचना कई विषयों पर आधारित है, जिनमें से कुछ कानून की व्याख्या पर निर्भर हो सकते हैं। इस आरएफपी में प्रदान की गई सूचना सांविधिक अपेक्षाओं का संपूर्ण आशय नहीं रखती है एवं इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक विवरण न माना जाए। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल किसी भी स्वरूप की देयता स्वीकार नहीं करता है चाहे वह लापरवाही से हो अथवा अन्यथा जो भी इस आरएफपी में शामिल बयानों पर किसी भी बोलीदाता की निर्भरता से उत्पन्न हो।

आईआईएफसीएल के पास इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताये जो भी हो, एवं किसी नुकसान/चोट के लिए उत्तरदायी हुए बिना जो बोलीदाता को ऐसे कारण से हो सकता है, अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। आईआईएफसीएल का निर्णय ऐसे सभी बोलीदाताओं/पक्षकारों के लिए अंतिम, निर्णायक एवं बाध्यकारी होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली प्रक्रिया से जुड़े हों।

1. निविदा का सारांश

Table 1 -

Sr. No.	निविदा संख्या आईआईएफसीएल/आईएडी/प्रोक/2023-24/02 दिनांक 22.03.2024	
1	*उद्देश्य*	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईआईएफसीएल के समवर्ती ऑडिट (लेखा परीक्षण) के संचालन के लिए एक स्वतंत्र सीए फर्म को नियुक्त करना।
2	*आईआईएफसीएल को निविदा शुल्क*	5,000/- रु. (पाँच हज़ार रुपए मात्र) (गैर-प्रतिदेय)
3	*धरोहर राशि (ईएमडी)*	20,000/- रु. (बीस हज़ार रुपए मात्र)
4	*निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि प्रस्तुत करना (25,000/-रु.)* (पच्चीस हज़ार रुपए मात्र)	**खाते का नाम**– इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड **बैंक**– आईडीबीआई बैंक **खाता सं.** – 011102000073352 **आईएफ़एससी**– IBKL0000011 **बोली में यूटीआर संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।**
5	*धरोहर राशि (ईएमडी) की वापसी*	असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर सफल बोलीदाता की घोषणा के 30 (तीस) दिनों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की ईएमडी को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा और जमा की जाने वाली निष्पादन प्रतिभूति राशि से राशि घटा दी जाएगी।
6	*निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करना*	आईआईएफसीएल से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता अनुबंध की अधिसूचना या नियुक्ति पत्र या दोनों में से कोई एक की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, कुल अनुबंध मूल्य/बोली मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर, प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।
7	बोली दस्तावेज प्रकाशित करना	आईआईएफ़सीएल की वेबसाइट/जेम पोर्टल
8	*बोली प्रस्तुत करना*	इस आरएफपी में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार
9	भाषा	प्रस्ताव केवल अंग्रेजी में ही प्रस्तुत किए जाएं।
10	बोली की वैधता	प्रस्ताव बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिन तक मूल्यांकन के लिए वैध हो।
11	बोली की मुद्रा	मुद्रा जिसमें आवेदक कीमत कोट कर सकते है एवं भुगतान प्राप्त करेंगे केवल भारतीय रुपया रहेगी।
12	*बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भिक*	22.03.2024

	तिथि	(जीईएम पर बोली/आरएफपी जारी करने/प्रकाशित करने की तिथि)
13	*बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण के लिए लिखित प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि*	01.04.2024 (अर्थात आरएफपी अपलोड होने से 4 कार्य दिवस)
14	*बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि*	**09.04.2024** **(अर्थात् आरएफपी अपलोड होने से 10 कार्य दिवस)**
15	अनुबंध की अवधि	इस आरएफपी के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या अंतिम रिपोर्ट/डिलीवरेबल्स जमा करने से 01 वर्ष, जो भी पहले हो।
16	*संसाधनों की तैनाती (सभी कार्य दिवसों पर आईआईएफसीएल परिसर में पूर्णकालिक उपस्थित रहना)*	• **न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव वाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)।** • **तीन आईपीसीसी अंतिम लेख सहायक**
17	असाइनमेंट की अनुमानित लागत	Rs. 638000/-
18	तकनीकी बोलियाँ खोलने का स्थान, दिनांक और समय।	10.04.2024 , GeM पोर्टल पर (https://gem.gov.in)
19	वित्तीय बोलियाँ खोलने का स्थान, दिनांक और समय।	तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
20	*संपर्क सूत्र*	

नाम एवं पदनाम	**दूरभाष**	**ईमेल**
श्री राजीव कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक	011-24662636	rajeev.gupta@iifcl.in
सुश्री महक दीप कौर, सहायक प्रबंधक	011-24662763	mahak.kaur@iifcl.in

नोट:

1. आईआईएफसीएल के पास बिना कोई कारण बताए उपरोक्त उल्लिखित तिथियां बदलने का अधिकार सुरक्षित है। इसकी सूचना आईआईएफसीएल के वेबसाइट एवं ई-खरीद पोर्टल पर दशाई जाएगी।
2. इस आरएफपी के तहत प्रदान की गई बोली अहस्तांतरणीय है।
3. यदि ऊपर उल्लिखित तारीखों पर छुट्टी घोषित की जाती है, तो बोली अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्दिष्ट उसी समय और उसी स्थान पर खोली जाएगी जब तक कि अन्यथा सूचित न किया जाए।

2. परिभाषाएं

(क) "**नियोक्ता**" का अर्थ आईआईएफसीएल है जिसने कार्यों के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं और जो सफल बोलीदाता अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा।

(ख) **"आवेदक/बोलीदाता"** का मतलब क्रमशः आईसीएआई और आईसीडब्ल्यूए के साथ नामांकित कोई स्वतंत्र सीए/लागत लेखाकार फर्म है।

(ग) "**चयनित आवेदक/बोलीदाता**" का अर्थ है कोई भी स्वतंत्र सीए/लागत लेखाकार फर्म जो नियोक्ता को उसके चयन के बाद अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान कर सकती है।

(घ) "अनुबंध या समझौता" का अर्थ है इस असाइनमेंट के लिए आरएफपी के अनुसार कार्यवाही के पूरा होने के परिणामस्वरूप पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध और सभी संलग्न दस्तावेज और परिशिष्ट।

(ङ) "**दिन**" का अर्थ कलैण्डर दिवस है।

(च) "**नियम और शर्तें**" का अर्थ वह दस्तावेज है जो बोलीदाता को उनके प्रस्ताव तैयार करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करता है।

(छ) "**कार्मिक**" का अर्थ है बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए पेशेवर और सहायक कर्मचारी और सेवाओं या उसके किसी भाग को करने के लिए नियुक्त;

(ज) "**प्रस्ताव/बोली**" का अर्थ है तकनीकी प्रस्ताव तथा ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव।

(झ) **"उत्तरदायी प्रस्ताव"** का अर्थ है एक प्रस्ताव जो बिना किसी भौतिक विचलन के आरएफपी की सभी पात्रता और नियमों और शर्तों के अनुरूप है।

(ञ) "**आरएफपी/निमंत्रण**" का अर्थ है परामर्शदाताओं के चयन के लिए नियोक्ता द्वारा तैयार प्रस्ताव के लिए अनुरोध।

(ट) **"कार्य/नौकरी/सेवाएं"** का अर्थ संविदा के अनुसार चयनित/सफल बोलीदाता द्वारा किया जाने वाला कार्य है।

3. परिचय

आईआईएफसीएल भारत सरकार की एक उद्यम कंपनी है जिसकी स्थापना 2006 में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसे व्यापक रूप से सिफटी(SIFTI) कहा जाता है। .

आईआईएफसीएल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। आईआईएफसीएल से वित्तीय सहायता के लिए पात्र क्षेत्र सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर संशोधित बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण सूची के अनुसार हैं। इनमें मोटे तौर पर परिवहन, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता और संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं। आईआईएफसीएल सितंबर 2013 से आरबीआई के साथ एनबीएफसीएनडी-एसआई-आईएफसी के रूप में पंजीकृत है।

आईआईएफसीएल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, बोलीदाता आईआईएफसीएल की वेबसाइट (www.iifcl.in) पर जा सकते हैं।

4. आरएफपी का उद्देश्य

इस आरएफपी (अनुलग्नक I) में दिए गए दायरे के अनुसार 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए आईआईएफसीएल के समवर्ती ऑडिट के संचालन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की अनुभवी पेशेवर फर्म/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) का चयन करना।

यदि किसी कारण से चयनित बोलीदाता असाइनमेंट नहीं लेता है, तो रैंकिंग मैट्रिक्स के अनुसार अगले बोलीदाता को असाइनमेंट की पेशकश की जाएगी।

5. कार्य का दायरा

चयनित बोलीदाता की जिम्मेदारियों में शामिल होंगे:

1. आईआईएफसीएल के सभी वित्तीय लेनदेन की घटना के 5 दिनों की अवधि के भीतर नियमित, व्यवस्थित और समय पर जांच। सटीकता, प्रामाणिकता, प्रक्रियाओं और लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन, एसएपी सिस्टम में सही प्रतिकृति के साथ-साथ संलग्न दस्तावेज़ के अनुसार प्रासंगिक अनुमोदन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। लेखा परीक्षक को धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग, आय रिसाव और किसी भी अन्य गंभीर अनियमितताओं पर टिप्पणी करनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप आईआईएफसीएल को नुकसान हो सकता है। सभी वित्तीय लेनदेन का सत्यापन वित्त वर्ष 2024-25 से शुरू होगा यानी 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक। शॉर्टलिस्ट की गई फर्म को ऑडिट की योजना इस तरह से बनानी

होगी कि 1 अप्रैल 2024 से सभी वित्तीय लेनदेन इसके अंतर्गत कवर किए जाएं। ऑडिट और साथ ही फर्म की नियुक्ति की तारीख से चल रहे लेनदेन की जांच वास्तविक समय के आधार पर की जाएगी यानी लेनदेन होने के 5 (पांच) दिनों की अवधि के भीतर।

2. मौजूदा परिपत्रों, दिशानिर्देशों, नीतियों, नियमावली के आधार पर और वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया प्रवाह को समझने के लिए संबंधित विभागों के साथ संक्षिप्त चर्चा के आधार पर समवर्ती लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए चेक सूचियां तैयार करना। ऐसी चेकलिस्ट वित्तीय लेनदेन के सभी संभावित क्षेत्रों को कवर करते हुए व्यापक प्रकृति की होनी चाहिए।
3. लेन-देन को उचित स्तर पर सत्यापित/वाउच और पुष्टि करना और अनुपालन पर रिपोर्ट करना कि क्या लेन-देन उचित खातों के शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है और प्रमाणित करें कि एसएपी प्रणाली में पारित लेखांकन प्रविष्टि बही/उप-बही/ उप खाते/लेखा प्रक्रिया के अनुसार और वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रतिबिंबित और ठीक से प्रवाहित हो रही है। कोई असामान्य वस्तु/मामला, जिस पर विभागों द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका हो, दर्शाया जाये।
4. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (भारत सरकार), सेबी और सभी संबंधित प्राधिकरणों जैसे नियामकों से , लेनदेन डेटा के प्रवाह के संबंध में प्राप्त सभी वैधानिक दिशानिर्देशों/निर्देशों के साथ-साथ सभी लागू दिशानिर्देशों/नीतियों, निर्धारित नियमों और परिपत्रों के अनुपालन को सत्यापित और पुष्टि करना।
5. शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाता को आईआईएफसीएल का राजस्व ऑडिट और विभागों का ऑडिट करना होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्रेडिट और क्रेडिट सहायता विभाग, सीएलए, लेखा, संसाधन और ट्रेजरी (आर एंड टी), एनपीए प्रबंधन, जीएडी, एचआर, आदि। उल्लेखनीय है कि समवर्ती लेखापरीक्षा का दायरा केवल उपरोक्त विभागों तक ही सीमित नहीं है; आईआईएफसीएल के विवेक पर ऑडिट अवधि के दौरान बाद में और विभाग जोड़े जा सकते हैं।
6. क्रेडिट सहायता विभाग (सीएसडी) के सभी अनुपालनों को सत्यापित और पुष्टि करने के लिए (जैसा लागू हो) संवितरण से पहले और बाद में या अन्यथा अनुपालन किया गया है।
7. क्रेडिट विभाग के ऑडिट के उद्देश्य से, शुरुआत में सभी लीड मामलों का ऑडिट किया जाएगा, यानी जहां आईआईएफसीएल एक लीड ऋणदाता है, सभी टेक आउट मामले, सभी पुनर्वित्त मामले और कम से कम 50 गैर लीड मामले। ऑडिट कार्य शुरू करने पर आईआईएफसीएल द्वारा चयनित बोलीदाता को परियोजनाओं की एक सूची दी जाएगी।
8. यह सत्यापित करने के लिए कि क्या टीआरए/एस्क्रो अकाउंट ऑडिट लीड बैंक द्वारा किया जा रहा है, जहां आईआईएफसीएल एक गैर लीड सदस्य है और ऐसे मामले जहां आईआईएफसीएल एक लीड ऋणदाता है, टीआरए/एस्क्रो ऑडिट समवर्ती ऑडिटर द्वारा आयोजित किया जाना है।
9. यह सत्यापित और पुष्टि करने के लिए कि क्या प्रावधान (मानक और उप-मानक दोनों मामलों में) लागू मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।
10. सभी अनुमोदित कार्यक्षेत्रों के ऑडिट के तहत कवर किया जाने वाला विस्तृत दायरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।
11. फर्म को समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी आदि जैसे नियामकों और प्राधिकरणों से प्राप्त निर्धारित नियमों/परिपत्रों/नीतियों और दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार निरंतर संचालन के लिए आंतरिक नियंत्रण और आईटी प्रणाली की पर्याप्तता, परिचालन दिशानिर्देशों के वित्तीय मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी होगी।

12. इसमें शामिल समग्र जोखिमों पर टिप्पणी करना और रिपोर्ट के साथ इसे कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना -

क) जोखिम श्रेणीउच्च-, मध्यम या निम्न,

ख) जोखिम संभावना यानी) जोखिम की घटना की आवृत्ति -, उच्च, मध्यम या निम्न में। (

ग) जोखिम प्रभावअर्थात) व्यावसायिक उद्देश्यों पर जोखिम का प्रभाव :, उच्च, मध्यम या निम्न में। (

घ) जोखिम की प्रवृत्तिक्या जोखिम स्थिर :, बढ़ती या घटती प्रवृत्ति दिखा रहा है।

ङ) जोखिम पर सामान्य वक्तव्यजोखिम रेटिंग पर/पायी गयी विपथन/इसमें की गई टिप्पणियों : सामान्य टिप्पणी शामिल होगी।

आईआईएफ़सीएल एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान होने के नाते, बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि आईआईएफ़सीएल के समवर्ती ऑडिट के संचालन के लिए आईआईएफ़सीएल के साथ पर्याप्त रूप से कुशल और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट तैनात हैं। चयनित बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीम का नेतृत्व एक योग्य और अनुभवी टीम लीडर द्वारा किया जाए जो अतीत में इसी तरह के कार्यों में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहा हो (अधिमानतः एसएपी मॉड्यूल का कार्यसाधक ज्ञान)। चयनित बोलीदाता को निर्दिष्ट समयसीमा में कार्य पूरा करने के लिए एक उपयुक्त टीम नियुक्त करनी होगी। टीम में विशेष रूप से निम्नलिखित व्यक्ति/विषय विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए। साथ ही, आईआईएफसीएल में पूर्णकालिक रूप से तैनात किए जाने वाले सभी संसाधनों का सीवी तकनीकी बोली के लिए निविदा दस्तावेज के साथ जमा करना होगा।

क) न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट । (सीए)

ख) तीन आईपीसीसी अंतिम लेख सहायक।

आईआईएफसीएल को उम्मीद है कि प्रस्ताव में निर्दिष्ट सभी प्रमुख कार्मिक दिल्ली में आईआईएफसीएल के कार्यालय में असाइनमेंट के कार्यान्वयन के दौरान उपलब्ध होंगे। आईआईएफसीएल प्रमुख कार्मिकों के किसी भी प्रतिस्थापन पर विचार नहीं करेगा सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जो लेखापरीक्षा इकाई और संबंधित प्रमुख कार्मिक के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसा प्रतिस्थापन आईआईएफसीएल की संतुष्टि के लिए समान रूप से या बेहतर योग्य और अनुभवी कर्मियों को प्रदान किए जाने के अधीन होगा। ऑडिट इकाई को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि टीम लीडर के प्रतिस्थापन पर आमतौर पर समनुदेश या असाइनमेंट के दौरान विचार नहीं किया जाएगा और इससे बोली लगाने वाले की अयोग्यता हो सकती है या अनुबंध समाप्त हो सकता है। **टीम को बोली लगाने वाले के रोल पर होना आवश्यक है। समनुदेशन की जिम्मेदारी केवल चयनित बोलीदाता की होगी।**

6. <u>निविदा प्रविधि</u>

i. अपनाई गई निविदा पद्धति "दो बोली प्रणाली" अर्थात खुली निविदा के माध्यम से तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव है।

ii. बोलीदाता बोली की तैयारी और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा और आईआईएफसीएल किसी भी मामले में उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे निविदा प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना।

iii. फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी गई बोलियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

iv. ईएमडी के बिना जमा की गई बोलियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

v. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर खरीद नीति:

क- आईआईएफसीएल सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का पालन करता है जैसा कि एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिचालित किया गया है।

ख. उपरोक्त प्रावधानों के तहत एमएसई निविदा शुल्क और बयाना राशि जमा (ईएमडी) प्रस्तुत करने से छूट के हकदार होंगे।

ग. उपरोक्त प्रावधानों के तहत छूट/वरीयता प्राप्त करने के इच्छुक एजेंसियों/बोलीदाताओं को उपरोक्त नीति के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के प्रमाण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

7. <u>प्रस्ताव</u>

बोलीदाता इस आरएफपी की शर्तों के अनुसार समनुदेशन(असाइनमेंट) के लिए बोली/प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के लिए अलग-अलग तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं।

अपने प्रस्तावों को तैयार करने में, बोलीदाताओं से आरएफपी वाले दस्तावेजों की विस्तार से जांच करने की अपेक्षा की जाती है। अनुरोधित जानकारी प्रदान करने में सामग्री की कमी के परिणामस्वरूप प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

7.1 <u>पात्रता मानदंड</u>

मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए केवल उन्हीं बोलीदाताओं की बोलियों पर विचार किया जाएगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यदि बोलीदाता सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किए बिना आवेदन करता है, तो बोली बिना कोई कारण बताए खारिज कर दी जाएगी। बोली लगाने वाले से अपेक्षा की जाती है कि वह पात्रता के प्रत्येक बिंदु के लिए प्रमाण प्रदान करे। अपेक्षित प्रमाण दस्तावेजों के साथ नहीं आने वाले किसी भी क्रेडेंशियल विवरण पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। आईआईएफसीएल बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। आईआईएफसीएल का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोलीदाताओं पर इस दस्तावेज़ के लिए बाध्यकारी होगा।

बोलीदाताओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

(i) बोली लगाने वाले को कम से कम 5 (पांच) साझेदारों के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार की एक साझेदारी फर्म/एलएलपी होना चाहिए, जिनमें से कम से कम 3 (तीन) साझेदार

एफसीए/एफसीएमए होने चाहिए – प्रत्येक का विवरण अनुभव, योग्यता आदि सहित भागीदार, और उनका पंजीकरण नंबर दस्तावेजी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाना है।

(ii) बोली लगाने वाले को आईसीएआई के साथ पंजीकृत होना चाहिए – बोली लगाने वाले को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) से वैध पंजीकरण / प्रैक्टिस प्रमाणपत्र का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(iii) बोली लगाने वाले के कम से कम 3 (तीन) साझेदारों का फर्म के साथ कम से कम 5 (पांच) वर्षों का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए। – आईसीएआई रिकॉर्ड

(iv) बोली लगाने वाले को पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/पीएसयू/इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षक/समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक लेखा परीक्षक की क्षमता में एसएपी वातावरण में कम से कम 5 लेखा परीक्षा कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए – साथ ही असाइनमेंट के लिए एलओआई/अनुबंध (किए गए कार्य के दायरे सहित) और कार्य समापन प्रमाणपत्र या प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट की अवधि के दौरान असाइनमेंट शुल्क की प्राप्ति को दर्शाने वाले बैंक विवरण प्रस्तुत करना होगा ।

(v) बोली लगाने वाला एक भारतीय फर्म होना चाहिए।

(vi) बोली लगाने वाले का कार्यालय दिल्ली/एनसीआर में होना चाहिए – बोली लगाने वाले को बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि के रूप में पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(vii) बोली लगाने वाले के पास वित्त वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाले पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से किसी तीन में कम से कम 2.5 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व होना चाहिए। हालाँकि, बोली लगाने वाले का वित्त वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाले पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से किसी में भी 2 करोड़ रुपये से कम का कारोबार नहीं होना चाहिए।

(viii) बोली लगाने वाले को पिछले 3 वर्षों में आईआईएफसीएल के साथ इस प्रकार के असाइनमेंट या अनुबंध में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ix) बोली लगाने वाले को बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले पूर्व-आवश्यकता के रूप में सत्यनिष्ठा अनुबंध (इंटीग्रिटी पैक्ट) निष्पादित करना होगा (आईपी अनिवार्य रूप से संभावित विक्रेता/बोलीदाताओं और खरीदार (इस मामले में आईआईएफसीएल) के बीच एक समझौता है, जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को प्रतिबद्ध करता है की अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट आचरण का सहारा नहीं लेंगे। अनुलग्नक V के अनुसार केवल वे विक्रेता/बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाएंगे, जो क्रेता के साथ इस तरह के समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

(x) बोली लगाने वाले को आईआईएफसीएल की केवाईसी नीति के अनुसार केवाईसी दस्तावेज जमा करने होंगे।

(xi) चयनित बोलीदाता को आईआईएफसीएल के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौता निष्पादित करना होगा।

7.2 तकनीकी प्रस्ताव

i. बोलीदाता को तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किए जाने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए।

ii. बोलीदाताओं को एक तकनीकी प्रस्ताव (टीपी) प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित पैराग्राफ में (ए) से (सी) तक की सूचना शामिल है। प्रस्तुत करना
गलत प्रकार के तकनीकी प्रस्ताव के परिणामस्वरूप प्रस्ताव अनुत्तरदायी माना जाएगा।
गलत प्रकार के तकनीकी प्रस्ताव के परिणामस्वरूप प्रस्ताव अनुत्तरदायी माना जाएगा।

क- **अनुलग्नक** II एक नमूना कवर पत्र है जिसे तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

ख- बोलीदाता तकनीकी प्रस्ताव के भाग के रूप में, **अनुलग्नक** III (परियोजना के अनुभव को दर्शाने वाला प्रारूप) और तकनीकी योग्यता स्थापित करने वाले और तकनीकी बोली/प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक दस्तावेजों को खंड 7.1 में दी गई तालिका के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

ग- **अनुलग्नक** IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार "हितों के टकराव" से संबंधित एक प्रमाण पत्र सह घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाना है।

घ- **अनुलग्नक** V के प्रारूप के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत करना आवश्यक है।

च- **अनुलग्नक** VI के अनुसार बोलीदाता द्वारा बैंक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

iii. तकनीकी प्रस्ताव में कोई वित्तीय जानकारी शामिल नहीं होगी। वित्तीय जानकारी वाले तकनीकी प्रस्ताव को गैर-उत्तरदायी घोषित किया जा सकता है।

आवेदकों को तकनीकी प्रस्ताव के तहत आवश्यक दस्तावेजों का पूरा सेट और GeM पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट को पूरा करने के लिए तकनीकी योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है।

7.3 वित्तीय प्रस्ताव

i. फर्म को "वित्तीय प्रस्ताव" के मूल्यांकन के लिए तकनीकी रूप से योग्य होना चाहिए।

ii. द्वितीय वित्तीय प्रस्ताव **अनुलग्नक** VII में दिए गए निर्धारित प्रपत्र का उपयोग करके तैयार किया जाएगा। यह सभी खर्चों और असाइनमेंट से जुड़ी सभी लागतों को ध्यान में रखेगा, जिसमें पेशेवर कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक और करों, कर्तव्यों और वैधानिक लेवी जैसे माल और सेवा कर आदि को छोड़कर प्रतिपूर्ति योग्य खर्च शामिल हैं।

iii. प्रचलित बाजार दरों के अनुसार अनुमानित वित्तीय बोली 638000.00 रुपये और इससे अधिक हो सकती है।

आवेदकों को GeM पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव के तहत आवश्यक दस्तावेजों और वित्तीय योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेजों का पूरा सेट अपलोड करना आवश्यक है।

8. बोली की प्राप्ति(रसीद) और खोलना

आईआईएफसीएल द्वारा मूल्यांकन आईआईएफसीएल द्वारा गठित एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

मूल्यांकन तीन चरण की प्रक्रिया होगी:

- चरण 1 - तकनीकी बोली मूल्यांकन (पात्रता मूल्यांकन सहित)
- चरण 2 - वित्तीय बोली मूल्यांकन
- चरण 3 - तकनीकी-वित्तीय मूल्यांकन

प्राप्त होने पर, तकनीकी बोली खोलने की तिथि पर तकनीकी बोली खोली जाएगी और बाद में, आईआईएफसीएल की मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। आईआईएफसीएल द्वारा बोली की जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह पूर्ण है और क्या आवश्यक ईएमडी प्रस्तुत की गई है। पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं के रूप में निर्धारित बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोली लगाने वाले की ओर से बोली मूल्यांकन प्रक्रिया या अनुबंध प्रदान करने को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोली उपरोक्त समिति द्वारा खोली और मूल्यांकन की जाएगी। निविदा सारांश (तालिका 1) में बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान का विवरण दिया गया है। इसे आईआईएफसीएल के साथ-साथ सरकार की वेबसाइट ई-खरीद पोर्टल पर भी अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

9. बोली का मूल्यांकन :

बोलियों का मूल्यांकन नीचे दिए गए मूल्यांकन मानदंड के अनुसार किया जाएगा:

i. तकनीकी व्यवहार्यता / मूल्यांकन:

आईआईएफसीएल की मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन में प्रस्तुत तकनीकी जानकारी की जांच शामिल होगी। बोलीदाता तकनीकी बोली में किए गए सभी दावों को आईआईएफसीएल की संतुष्टि के अनुसार प्रदर्शित/प्रमाणित करेगा।

मूल्यांकन समिति बोलीदाता की प्रतिक्रिया के आधार पर और नीचे दिए गए मूल्यांकन मानदंड और उप-मानदंडों को लागू करके तकनीकी बोली का मूल्यांकन करेगी:

	विवरण	अंकों का आवंटन	अधिकतम अंब
क.	**पिछला अनुभव**		
1.	चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट की स्थापना का वर्ष, चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट की सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)। *(पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेजी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाना है)* *प्रासंगिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति। प्रासंगिक वित्तीय वर्षों में परिचालन आय बताने वाला लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र।*	मूल्यांकन के लिए केवल परिचालन आय वाली अवधि/वर्षों पर विचार किया जाएगा। • अस्तित्व के 07 वर्ष – 5 अंक और प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए अधिकतम 10 अंकों के अधीन 1 (एक) अंक दिया जाएगा।	**10**
2.	बोली लगाने वाले का वार्षिक राजस्व का औसत (वित्तीय वर्ष 2018-19 से शुरू होकर पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ)। (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दस्तावेजी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाना है)	• ₹ 2.5 करोड़ तक- 10 अंक और रुपये के प्रत्येक अतिरिक्त कारोबार के लिए. 25 लाख तक अतिरिक्त 1 (एक) अंक दिया जाएगा जो अधिकतम 20 अंकों के अधीन होगा	**20**
3.	पिछले 7 वर्षों में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/पीएसयू/ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी में समवर्ती लेखा परीक्षक की क्षमता में कम से कम 5 ऑडिट कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए होने चाहिए। *(ग्राहक से कार्य समापन प्रमाणपत्र या खाता विवरण/फॉर्म 26एएस दर्शाता है कि कार्य पूरा करने के लिए देय राशि बोलीदाता द्वारा विधिवत प्राप्त कर ली गई है)*	• 5 ऑडिट असाइनमेंट तक – 5 अंक • 5 से अधिक और 7 तक ऑडिट असाइनमेंट – 7 अंक • 7 से अधिक ऑडिट असाइनमेंट – 10 अंक बैंक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और स्वीकृति/पूर्णता के प्रासंगिक पत्र की प्रति। आईआईएफसीएल तकनीकी मूल्यांकन के समय ग्राहकों के संपर्क विवरण (नाम, ईमेल, संपर्क नंबर) मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता	**10**
4.	पिछले 7 वर्षों में सैप (SAP) परिवेश में कम से कम 5 ऑडिट कार्य सफलतापूर्वक अवश्य पूरे किए हों	सैप (SAP) परिवेश में आयोजित असाइनमेंट की संख्या ≥7 10 अंक ≥5 7 अंक ≥3 5 अंक	**10**
ख.	**प्रमुख कार्मिकों की योग्यता एवं अनुभव**		
1.	एफसीए/एफसीएमए भागीदारों/कर्मचारियों की संख्या (अनुभव, योग्यता आदि सहित प्रत्येक भागीदार का विवरण और उनकी पंजीकरण संख्या दस्तावेजी प्रमाण/आईसीएआई/आईसीडब्ल्यूए रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत की जाएगी)	• तीन तक – 05 अंक • तीन से अधिक और पांच तक- 07 अंक • पांच से अधिक- 10 अंक	**10**
2.	निविदा की तिथि के अनुसार फर्म में न्यूनतम 5	• 15 – 05 अंक तक	**10**

	वेतनभोगी सीए, अन्य योग्य (सीए/सीएमए) /अर्ध-योग्य (सीए-इंटर/सीएमए-इंटर) सहित कम से कम 15 कर्मचारी होने चाहिए। (साझेदारों के अलावा) निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान की जाने वाली योग्यता और अनुभव के साथ वेतनभोगी सीए और अन्य योग्य / अर्ध योग्य कर्मचारियों की सूची। **नाम** | **योग्य/अर्ध-योग्य** | **अनुभव**	• 15 से अधिक और 20 तक - 07 अंक • 20 से अधिक - 10 अंक	
3.	RBI grade as available on Website www.meficai.org / Copy of MEF certificate latest. वेबसाइट www.meficai.org पर उपलब्ध आरबीआई ग्रेड / एमईएफ प्रमाणपत्र की नवीनतम प्रति।	श्रेणी/ग्रेड-I : 10 अंक श्रेणी/ग्रेड- II: 08 अंक श्रेणी/ग्रेड-III: 05 अंक	**10**
4.	कम से कम तीन साझेदारों का फर्म के साथ कम से कम 5 वर्षों का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए।	• 5 वर्ष की निरंतरता - 5 अंक • 5 से 7 वर्ष तक निरंतरता - 7 अंक • 7 वर्ष से अधिक की निरंतरता - 10 अंक	**10**
ग.	**अन्य अपेक्षाएं**		
1.	फर्म/एलएलपी को सीएजी के साथ सूचीबद्ध किया जाना चाहिए	5 अंक	**05**
2.	बोली लगाने वाले को अपने पिछले अनुभव के साथ-साथ कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को शामिल करते हुए एक हैंडआउट जमा करना होगा।	बोली मूल्यांकन समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा	**05**
	कुल अंक		**100**

मूल्यांकन के पहले चरण में, प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के लिए संकेतित आवश्यकता के अनुसार कम पाए जाने पर बोली/प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल उत्तरदायी प्रस्तावों को ही मूल्यांकन के लिए आगे लिया जाएगा। तकनीकी बोली/प्रस्ताव का मूल्यांकन पहले शुरू होगा और उस स्तर पर वित्तीय बोली/प्रस्ताव खुला नहीं रहेगा।

तकनीकी प्रस्ताव में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर पात्र बोलीदाताओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।

तकनीकी बोली को ऊपर दिए गए अनुसार अधिकतम 100 (सौ) अंकों में से एक तकनीकी स्कोर (टी) सौंपा जाएगा। 70 (सत्तर) या अधिक के टीएस (Ts) वाले बोलीदाता तकनीकी रूप से पात्र होंगे।

i. **<u>वित्तीय मूल्यांकन:</u>**

तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोली/प्रस्ताव खोला जायेगा। अपात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी। वित्तीय बोली में कुल संविदा मूल्य, एक निश्चित लागत के आधार पर, सभी शुल्क और व्यय शामिल होना चाहिए। उद्धृत मूल्य में कर, शुल्क और वैधानिक शुल्क जैसे माल और सेवा कर आदि शामिल नहीं हैं। आईआईएफसीएल किसी भी प्रकार के आवास, यात्रा टिकट, हवाई किराए, ट्रेन किराए, हॉल्टिंग खर्च, परिवहन, आवास, बोर्डिंग आदि के लिए न तो खर्च प्रदान करेगा और न ही प्रतिपूर्ति करेगा।

वित्तीय बोली को 100 (सौ) के पैमाने पर सामान्यीकृत किया जाएगा, न्यूनतम बोली को 100 (सौ) के लिए सामान्यीकृत किया जाएगा और शेष को आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाएगा। इस तरह के सामान्यीकृत अंकों को गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) मूल्यांकन के उद्देश्य से माना जाएगा, जैसा कि नीचे अनुभाग में बताया गया है:

व्यक्तिगत बोलीदाता के वाणिज्यिक स्कोर (सीएस) को नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार सामान्यीकृत किया जाता है:
एफएन एफमिन/एफबी (Fn = Fmin/Fb) *100 (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित)
जहां,
एफएन (Fn) = विचाराधीन बोलीदाता के लिए सामान्यीकृत वाणिज्यिक स्कोर
एफबी (Fb) = विचाराधीन बोलीदाता के लिए पूर्ण वित्तीय उद्धरण
एफमिन (Fmin) = न्यूनतम पूर्ण वित्तीय उद्धरण।

ii. **<u>तकनीकी– वित्त मूल्यांकन– अंतिम मूल्यांकन मानदंड (क्यूसीबीएस/QCBS)</u>**

तकनीकी मूल्यांकन के लिए 80% (अस्सी प्रतिशत) वेटेज दिया जाएगा और वित्तीय मूल्यांकन के लिए 20% (बीस प्रतिशत) वेटेज दिया जाएगा।
अंतिम स्कोर = (Ts*0.80) + (Fn*0.20)
उच्चतम अंतिम स्कोर वाले बोलीदाता को असाइनमेंट प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।
यदि किसी कारण से, उच्चतम अंतिम स्कोर वाला बोलीदाता असाइनमेंट करने में असमर्थ रहता है या किसी भी कारण से असाइनमेंट पूरा करने में विफल रहता है, तो उस बोलीदाता को जो सूची में अगले उच्चतम स्कोर के साथ है, को असाइनमेंट प्रदान किया जाएगा।
आईआईएफसीएल द्वारा तय की गई मूल्यांकन प्रक्रिया बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगी। आईआईएफसीएल अपने एकमात्र/पूर्ण विवेकाधिकार में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रतिक्रिया का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले मानदंडों को लागू कर सकता है। आईआईएफसीएल बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी बोली (ओं) /प्रस्तावों को किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकता है।

10. संविदा का प्राप्त (एवार्ड) होना

नियोक्ता सफल बोलीदाता को आशय पत्र (एलओआई) जारी करेगा और अन्य सभी बोलीदाताओं को तुरंत सूचित करेगा जिन्होंने लिए गए निर्णय के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। एलओआई को बिना शर्त स्वीकार करने की अपेक्षा है और ऐसा स्वीकृत पत्र सफल बोलीदाता द्वारा एलओआई जारी होने की तारीख से एक दिन के भीतर लिखित रूप में दिया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने में विफलता, देरी या चोरी के परिणामस्वरूप एलओआई रद्द हो जाएगा और आईआईएफसीएल अगले उच्चतम बोलीदाता को प्रस्ताव जारी करने का अपना अधिकार बनाए रखेगा।

सफल बोलीदाता एलओआई जारी होने के 5 (पांच) दिनों के भीतर आरएफपी के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करेगा। सफल बोलीदाता से एलओआई की तारीख से असाइनमेंट शुरू करने की उम्मीद है।

11. निष्पादन प्रतिभूति

आईआईएफसीएल से एलओआई (आश्य पत्र) प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को 15 (पंद्रह) के भीतर, प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में, कुल अनुबंध मूल्य/बोली मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) ईएमडी (अग्रिम बयाना) की राशि के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। जब तक कि इसके विपरीत निर्दिष्ट न किया गया हो, पुरस्कार की अधिसूचना से/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय, जो भी पहले हो, के दिन। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल रहता है, तो आईआईएफसीएल अपने विवेकाधिकार पर बिना कोई नोटिस दिए एलओआई को रद्द कर सकता है और इस आरएफपी के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के अलावा बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी को जब्त कर सकता है। सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निष्पादन सुरक्षा आईआईएफसीएल द्वारा निर्धारित (**अनुलग्नक VIII)** के अनुसार होगी। सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि निष्पादन प्रतिभूति एलओआई की अवधि 2024-25 के दौरान हर समय और एलओआई की अवधि के बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। **इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**

12. रिपोर्ट सबमिशन/डिलिवरेबल्स (प्रदेय)

सफल बोलीदाता को अपनी रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करनी है:-

क) असाइनमेंट लेने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चेकलिस्ट जमा करना। शॉर्टलिस्टेड फर्म द्वारा तैयार की गई चेकलिस्ट प्रकृति में विस्तृत होनी चाहिए और आईआईएफसीएल के सक्षम प्राधिकारी/आंतरिक लेखा परीक्षक की मंजूरी होनी चाहिए।

ख) चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की नियुक्ति के महीने से शुरू होने वाले प्रत्येक महीने के अंत के 7 (सात) दिनों के भीतर वित्तीय लेनदेन पर वित्तीय लेनदेन पर मासिक रिपोर्ट और अगले 5 (पांच) दिनों में अनुपालन रिपोर्ट। हालाँकि, पहली मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाता और आईआईएफसीएल के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के बीच पारस्परिक रूप से किया जा सकता है।

ग) लेखा परीक्षक को प्रत्येक तिमाही, छमाही और वित्तीय वर्ष के समापन के 30 (तीस) दिनों के भीतर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होगी और प्रबंधन को त्रैमासिक प्रस्तुति देनी होगी।

घ) पूर्व-असाइनमेंट अवधि के समवर्ती ऑडिट पर रिपोर्ट (यानी 1 अप्रैल-2024 से ऊपर बिंदु संख्या बी के तहत कवर नहीं की गई अवधि तक) - असाइनमेंट लेने के 60 (साठ) दिनों के भीतर।

ड.) उपरोक्त सभी रिपोर्टों के लिए विभाग के उत्तर और टिप्पणियों की अंतिम स्थिति को शामिल करते हुए अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। सभी लेन-देन के लिए अंतिम अनुपालन रिपोर्ट 30 जून, 2025 को या उससे पहले प्रस्तुत की जानी है। अनुपालन रिपोर्ट में विभाग के नाम और निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणी के अंकन के साथ टिप्पणियों की गिनती के साथ किए गए अनुपालन और लंबित अनुपालन टिप्पणियों को अलग करना होगा।

च) कार्य का विस्तृत दायरा **अनुलग्नक ।** में दिया गया है।

13. डिलिवरेबल्स (प्रदेयों) की समय सीमा

सफल बोलीदाता नियुक्ति की तारीख से 2 दिनों के भीतर असाइनमेंट शुरू कर देगा। वास्तविक लेखापरीक्षा अभ्यास के साथ-साथ अंतिम अनुपालन/क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करना बिंदु 12 में उल्लिखित "रिपोर्ट सबमिशन/डिलिवरेबल्स" के तहत परिभाषित संबंधित समय-सीमा का पालन करेगा।

14. शुल्क/ भुगतान समय सूची

नियुक्ति की फीस को असाइनमेंट के डिलिवरेबल्स से निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

1. अनुबंध के लिए भुगतान का भुगतान चालान जमा करने के खिलाफ नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा

Particulars	**Amount of Payment**
बिंदु संख्या12(क) ऊपर में उल्लिखित चेकलिस्ट जमा करना।	बोली राशि का 10%
सभी रिपोर्टों की प्रस्तुति और समीक्षा के विरुद्ध लेखापरीक्षा अवधि के सभी लेन-देन का लेखापरीक्षा पूरा करना और जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या 12 (ख) में बताया गया है	बोली राशि का 20%
उपरोक्त बिंदु संख्या 12 (ग) में उल्लिखित सभी रिपोर्टों को प्रस्तुत करना और समीक्षा करना।	बोली राशि का 50%
स्क्रीनिंग कमेटी और वरिष्ठ प्रबंधन को समीक्षा और प्रस्तुति सहित कार्य के पूरे दायरे की स्वीकृति और रिपोर्ट को अंतिम रूप देना।	बोली राशि का 10%
बोलीदाता द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुतीकरण सहित लेखापरीक्षा पश्चात अनुपालन समीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति	बोली राशि का 10%

1. आयकर अधिनियम/नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, आईआईएफसीएल द्वारा किए गए किसी भी भुगतान के लिए स्रोत पर टीडीएस काटा जाएगा।
2. इस आरएफपी के तहत सभी भुगतान सफल बोलीदाता को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए जाएंगे और सभी भुगतान की मुद्रा स्रोत पर किसी भी वैधानिक कटौती (टीडीएस आदि) के अधीन भारतीय रुपये में होगी।
3. सभी शुल्क और कर (सेवा कर, वैट या अन्य स्थानीय करों को छोड़कर), यदि कोई हो, जो लगाया जा सकता है, सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा और आईआईएफसीएल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
4. निष्पादित किए जाने वाले समझौते के संबंध में सभी खर्च, स्टांप शुल्क और अन्य शुल्क/खर्च सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

5. आईआईएफसीएल ऐसे किसी भी शुल्क का भुगतान रोक सकता है जिस पर वह नेकनीयती से विवाद करता है, और जुर्माना राशि और किसी भी अन्य राशि को बंद कर सकता है जो सफल बोलीदाता को निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध के तहत उन्हें देय शुल्क के खिलाफ आईआईएफसीएल को देना होगा।
6. सफल बोली लगाने वाले द्वारा संबंधित चालान जारी करने के तीस दिनों के भीतर आईआईएफसीएल द्वारा भुगतान किया जाएगा, उपरोक्त बिंदु 12 में निर्दिष्ट प्रत्येक वितरण योग्य की आईआईएफसीएल द्वारा संतोषजनक स्वीकृति के विरुद्ध, देय राशि निर्दिष्ट करते हुए।

15. अर्थदंड उपधारा) क्लॉज (

क. आईआईएफसीएल कुल परियोजना लागत के 2.5% की दर से किसी भी डिलिवरेबल्स में देरी के मामले में, या तो ऑडिट अभ्यास पूरा करने या अंतिम ड्राफ्ट रिपोर्ट जमा करने के लिए, कुल लागत के अधिकतम 10% के अधीन जुर्माना लगा सकता है। उन सभी विलंबों के लिए जो सीधे सफल बोलीदाता के कारण होते हैं।

ख. आईआईएफसीएल सफल बोलीदाता द्वारा सामग्री के उल्लंघन की स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति का आह्वान कर सकता है जिसके कारण सामग्री उल्लंघन के लिए समाप्ति हो सकती है।

ग. निर्धारित समयसीमा में कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त टीम की प्रतिनियुक्ति का अनुपालन न करने की स्थिति में आईआईएफसीएल प्रति माह कुल परियोजना लागत का 2.5% की दर से जुर्माना लगा सकता है, जो कुल लागत का अधिकतम 10% होगा। .

घ. यदि अनुबंध के प्रदर्शन के दौरान किसी भी समय, सफल बोलीदाता अनुबंध के तहत सेवाओं को समय पर पूरा करने और सेवाओं के प्रदर्शन में बाधा डालने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करता है, तो सफल बोलीदाता तुरंत आईआईएफसीएल को देरी के तथ्य के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा, इसकी संभावना है अवधि और उसके कारण। जितनी जल्दी हो सके, सफल बोलीदाता की सूचना प्राप्त होने के बाद, आईआईएफसीएल स्थिति का मूल्यांकन करेगा और अपने विवेक से सफल बोलीदाता के प्रदर्शन के लिए समय बढ़ा सकता है, इस मामले में पार्टियों द्वारा विस्तार की पुष्टि की जाएगी।

ड.. संविदा के तहत दायित्वों का निष्पादन सफल बोलीदाता द्वारा इस आरएफपी में निर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार किया जाएगा।

च. सफल बोलीदाता के लिए जिम्मेदार नहीं होने के कारणों या अनुबंध के प्रदर्शन में देरी के मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। निर्दिष्ट दंड की अधिकतम सीमा तक पहुंचने पर, आईआईएफसीएल बिना किसी सूचना के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। समाप्ति पर, प्रदेयों (डिलिवरेबल्स) और निष्पादन में देरी से पहले किए गए कार्य के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

16. संविदा की अवधि

सफल बोलीदाता एक संविदा में प्रवेश करेगा जिसे शुरू में 31 मार्च 2025 तक 01 (एक) वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए सौंपा जाएगा जिसे आगे 02 (दो) वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है (एक समय में 01 (एक) वर्ष) , अधिकतम 10% की वार्षिक वृद्धि के साथ, बशर्ते कि निष्पादन समीक्षा और आईआईएफसीएल के विवेक पर संतोषजनक पाया जाए। प्रस्तावित असाइनमेंट आईआईएफसीएल के विवेक पर आवधिक समीक्षा के अधीन होगा और 30 (तीस) दिनों की पूर्व लिखित सूचना देकर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

बोली की स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया में बोलीदाता द्वारा दिए गए पते पर संविदा/नियुक्ति पत्र की पेशकश के माध्यम से चयनित बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित की जाएगी। संविदा की पेशकश/नियुक्ति पत्र को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाना चाहिए और ऐसा स्वीकृत पत्र बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव जारी होने की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर लिखित रूप में वितरित किया जाना चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने में विफलता, देरी या टाल-मटोल के परिणामस्वरूप प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा और आईआईएफसीएल अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्ताव जारी करने का अधिकार बरकरार रखेगा।

प्रस्ताव स्वीकार करने पर, सफल बोलीदाता को ऑर्डर के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए निष्पादन गारंटी 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर जमा करनी होगी, जो तारीख से 01 (एक) वर्ष के अलावा 90 दिनों के लिए वैध होगी। स्वीकृति की जिसे आपसी परामर्श से बढ़ाया जा सकता है। निष्पादन गारंटी का प्रारूप **अनुलग्नक VIII** में दिया गया है।

17. <u>समापन</u>

क. नियोक्ता के द्वारा समापन

i. यदि सफल बोलीदाता दिवालिया या अन्यथा दिवालिया हो जाता है, तो आईआईएफसीएल किसी भी समय सफल बोलीदाता को 30 दिन का लिखित नोटिस देकर आशय पत्र को समाप्त कर सकता है। इस घटना में, समाप्ति से कार्रवाई या उपचार के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या प्रभावित नहीं होगा, जो आईआईएफसीएल को अर्जित हुआ है या उसके बाद अर्जित होगा।

ii. आईआईएफसीएल निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तों के घटित होने की स्थिति में अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

क. सफल कंसल्टेंसी फर्म द्वारा अनुबंध को स्वीकार करने और आईआईएफसीएल द्वारा दिए गए विशिष्ट दिनों के भीतर प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफलता।

ख. सेवाएं प्रदान करने में असामान्य देरी (जैसा कि यहां बताया गया है अधिकतम जुर्माने से अधिक)।

ग. **असाइनमेंट पूरा करने/रिपोर्ट जमा करने में देरी।**

घ. इस निविदा दस्तावेज़ के अनुसार अनुबंधित जनशक्ति आईआईएफसीएल की पूर्वानुमति के बिना बोलीदाता द्वारा लगातार 15 दिनों तक प्रदान नहीं की जाती है।

ड.. अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप, यदि आईआईएफसीएल कम से कम (दो) महीने की अवधि के लिए अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है।

च. **समाप्ति के मामले में, आईआईएफसीएल किसी भी शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।**

संविदा को रद्द करने के अलावा, आईआईएफसीएल के पास सफल बोलीदाता द्वारा दी गई निष्पादन प्रतिभूतिको भुनाकर हर्जाना उचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

आईआईएफसीएल बिना कोई कारण बताए 30 (तीस) दिनों की लिखित सूचना देकर सेवाओं/संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, या समाप्ति की प्रभावी तिथि से पहले आईआईएफसीएल को संतोषजनक निष्पादन के अधीन वैध बकाया शुल्क दिए बिना (जब तक कि समाप्ति सफल बोलीदाता की चूक नहीं अवलोकित होती है) समापन किया जा सकता है।

क. सफल बोलीदाता के द्वारा समापन

सफल बोलीदाता निम्नलिखित परिस्थितियों में आईआईएफसीएल को कम से कम तीस (30) दिनों का लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है: (क) यदि

आईआईएफसीएल संविदा के अनुसार सहमत शर्तों के अनुसार सफल बोलीदाता के कारण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है और किसी भी विवाद के अधीन नहीं है और (ख) यदि अप्रत्याशित घटना के परिणाम के रूप में, सफल बोलीदाता कम से कम 1 (एक) महीने की अवधि के लिए सेवाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से का निष्पादन करने में असमर्थ है।

18. विवादों का निपटान (समाधान)

आईआईएफसीएल का यह प्रयास होगा कि आईआईएफसीएल और सफल बोलीदाता के बीच आरएफपी के अर्थ और संचालन और इसके परिणामस्वरूप होने वाले उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाए। आईआईएफसीएल और सफल बोलीदाता के बीच उत्पन्न होने वाले या इस आरएफपी से जुड़े किसी भी मामले से संबंधित विवाद या मतभेद के मामले में, ऐसे विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार सुलझाया जाएगा। आईआईएफसीएल द्वारा केवल एक मध्यस्थ चुना जाएगा । मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा। सफल बोलीदाता मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान आरएफपी के तहत काम करना जारी रखेगा जब तक कि अन्यथा रूप से, आईआईएफसीएल द्वारा लिखित रूप में निर्देशित नहीं किया जाता है या जब तक मामला ऐसा नहीं है कि जब तक मध्यस्थ का निर्णय, जैसा भी मामला हो, तब तक काम जारी नहीं रखा जा सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा और पार्टियों के बीच सभी दस्तावेजों और संचार की भाषा अंग्रेजी होगी।

आरएफपी से उत्पन्न होने वाले विवाद, दावे और कानूनी कार्रवाई के मामले में, ऊपर निहित किसी भी चीज के बावजूद, पार्टियां केवल नई दिल्ली, भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगी। आरएफपी के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया कोई भी नोटिस दूसरे पक्ष को लिखित रूप में भेजा जाएगा और दूसरे पक्ष के निर्दिष्ट पते पर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी। इसे प्राप्तकर्ता को लिखित रूप में स्वीकार करना होगा। नोटिस वितरित होने पर या नोटिस की प्रभावी तिथि, जो भी बाद में हो, पर प्रभावी होगा।

19. सफल बोलीदता का दायित्व : .

सफल बोलीदाता का दायित्व आईआईएफसीएल को हुई वास्तविक क्षति/नुकसान तक सीमित रहेगा।.

20. कार्य का स्थान :

कार्य का स्थान आईआईएफसीएल, नई दिल्ली का पंजीकृत कार्यालय होगा

21. अन्य नियम और शर्तें

i) बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि ऑडिट पेशेवर तरीके से किया जाए और किसी भी कदाचार और लापरवाही के मामले में, आईआईएफसीएल आईआईएफसीएल द्वारा नियुक्त किसी भी पेशेवर की ओर से पेशेवर कदाचार की शिकायतों के साथ संबंधित पेशेवर निकायों से संपर्क कर सकता है, यदि कोई हो। तदनुसार, आईआईएफसीएल उनके नाम की सिफारिश आईसीएआई/आरबीआई/आईबीए/सेबी/सीएजी या किसी अन्य प्राधिकारी को उनके द्वारा उचित कार्रवाई के लिए कर सकता है।

ii) बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वह किसी बाहरी फर्म/एलएलपी या अन्य व्यक्तियों को सौंपे गए ऑडिट कार्य का **उप-ठेका नहीं देगा**, भले ही ऐसे व्यक्ति योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हों।

iii) आईआईएफसीएल में समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त बोलीदाता को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को नामांकित करना चाहिए, जिसने योग्य फर्म के साथ कम से कम 5 (पांच) वर्षों तक काम किया हो और जो समवर्ती लेखा परीक्षा टीम का नेतृत्व "नामित लेखा परीक्षक" के रूप में विधिवत अधिकृत करेगा। सीए फर्म/एलएलपी का एफसीए भागीदार फर्म की ओर से कार्य करेगा। नामित लेखा परीक्षक को सिस्टम तक पहुंच के लिए अद्वितीय लॉगिन आईडी आवंटित करने के अनुरोध के साथ नमूना हस्ताक्षर के साथ अपना पहचान प्रमाण और पता प्रमाण जमा करना होगा। नामित लेखा परीक्षक को प्रत्येक कार्य दिवस पर सिस्टम में लॉग इन और लॉग-आउट करना होगा। नामित ऑडिटर को समवर्ती ऑडिट कार्यकाल पूरा होने पर या फर्म/एलएलपी द्वारा नामित ऑडिटर में किसी भी बदलाव पर लॉगिन आईडी सरेंडर करना होगा।

iv) आईआईएफसीएल में समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त बोलीदाता को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को नामांकित करना चाहिए, जिसने योग्य फर्म के साथ कम से कम 5 (पांच) वर्षों तक काम किया हो और जो समवर्ती लेखा परीक्षा टीम का प्रमुख "नामित लेखा परीक्षक" के रूप में विधिवत अधिकृत करेगा। सीए फर्म/एलएलपी का एफसीए भागीदार फर्म की ओर से कार्य करेगा। नामित लेखा परीक्षक को सिस्टम तक पहुंच के लिए अद्वितीय लॉगिन आईडी आवंटित करने के अनुरोध के साथ नमूना हस्ताक्षर के साथ अपना पहचान प्रमाण और पता प्रमाण जमा करना होगा। नामित लेखा परीक्षक को प्रत्येक कार्य दिवस पर सिस्टम में लॉग इन और लॉग-आउट करना होगा। नामित ऑडिटर को समवर्ती ऑडिट कार्यकाल पूरा होने पर या फर्म/एलएलपी द्वारा नामित ऑडिटर में किसी भी बदलाव पर लॉगिन आईडी सरेंडर करना होगा।

v) समवर्ती ऑडिट के लिए ऑडिट टीम की संरचना और उपस्थिति आवश्यकताओं को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:

क) **फर्म/एलएलपी का एफसीए भागीदार सप्ताह में कम से कम एक बार आईआईएफसीएल का दौरा करेगा;** और

ख) **01 (एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एक नामित लेखा परीक्षक है, और 03 (तीन) आईपीसीसी अंतिम लेख, सभी कार्य दिवसों पर अनिवार्य रूप से आईआईएफसीएल परिसर में पूर्णकालिक तैनात रहेंगे।** नामित लेखा परीक्षक को आईआईएफसीएल को आईआईएफसीएल परिसर में उनके प्रवेश के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को निर्दिष्ट करना होगा।

vi) समवर्ती लेखा परीक्षक को दायरे के अनुसार ऑडिट कवरेज का सख्ती से पालन करना चाहिए और अपनी टीम को इस तरह तैयार करना चाहिए ताकि ऑडिट दायरे को समय पर पूरा किया जा सके।

vii) समवर्ती लेखा परीक्षक परामर्श अनुबंध के प्रसंस्करण या निष्पादन या संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन से संबंधित किसी भी मामले में जांच निकाय के साथ सहयोग करेगा।

viii) ऑडिट के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती ऑडिटर को स्थान, कार्य केंद्र और सिस्टम तक पहुंच (केवल देखने के अधिकार) प्रदान करने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

ix) समवर्ती लेखा परीक्षक को आईआईएफसीएल परिसर के अंदर किसी भी बड़े भंडारण उपकरण जैसे पेन ड्राइव / फ्लैश ड्राइव / थंब ड्राइव या किसी भी लैपटॉप को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इन उपकरणों की आवश्यकता नहीं होगी।

x) समवर्ती लेखा परीक्षक को आईआईएफसीएल द्वारा अक्षम यूएसबी पोर्ट के साथ कंप्यूटर सिस्टम प्रदान किया जाएगा।

xi) समवर्ती ऑडिटर को ऑडिट की योजना इस तरह से बनाने की आवश्यकता है कि इसके परिणामस्वरूप लेनदेन और एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा इसकी जांच के बीच का अंतराल धीरे-धीरे कम हो जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में लेन-देन का अंतराल घटना के 5 (पांच) दिनों से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए।.

xii) समवर्ती लेखा परीक्षक प्रमुख क्षेत्रों में ठोस जांच करेगा और कमियों के 'मौके पर' सुधार पर जोर दिया जाना चाहिए।

xiii) समवर्ती लेखा परीक्षक प्रतिदिन पिछले दिन के एसएपी के सभी वाउचर और खातों की पुस्तकों की जांच करेगा और विस्तार से जांच किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा।

xiv) की गई टिप्पणियों के समर्थन में कागजात का रखरखाव और बैकअप रखना चाहिए।

xv) समवर्ती लेखा परीक्षक को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा:

.

- ✓ सत्यापित और पुष्टि करने के लिए कि एनबीएफसी के लिए आरबीआई / नियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर केवाईसी / एएमएल / सीएफटी / उचित व्यवहार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया है। किसी भी गड़बड़ी को विशेष रूप से सामने लाया जाना चाहिए।
- ✓ लेखापरीक्षकों को नियामक निकायों यानी आरबीआई/सेबी/कर विभाग/सरकार के दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन न करने पर सत्यापित करना होगा और विशिष्ट टिप्पणियां करनी होंगी। भारत आदि के
- ✓ लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा देखी गई बड़ी चूक/अनियमितता/दुरुपयोग/धोखाधड़ी (यदि कोई हो) पर टिप्पणी करनी होगी, जिससे संगठन को नुकसान हुआ है।
- ✓ लेखा परीक्षकों को विभाग के आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर सत्यापन/टिप्पणी करनी होगी।

xvi) असाइनमेंट के कोई अन्य नियम और शर्तें जो आईआईएफसीएल द्वारा मामले दर मामले के आधार पर तय की जाएंगी।

xvii) आईआईएफसीएल बोली जमा करने से पहले इस आरएफपी के नियमों और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, ऐसे किसी भी बदलाव को वेबसाइट www.iifcl.in और **GeM पोर्टल** पर प्रकाशित किया जाएगा।ail

.

xviii) बोलियां प्रस्तुत करना आरएफपी के सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षण के साथ इसके निहितार्थों की पूरी समझ के बाद किया गया माना जाएगा।

xix) बोलीदाताओं को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अपने बोली दस्तावेज बोली जमा करने की अंतिम तिथि/समय से काफी पहले जमा करें ताकि उन समस्याओं से बचा जा सके जो बोलीदाताओं को अंतिम क्षण में/भीड़-भाड़ वाले समय में जमा करने में आ सकती हैं।

xx) बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज़ में दिए गए नियमों और शर्तों, विशिष्टताओं, मानकों के अनुसार ही उद्धरण देना होगा, किसी भी विचलन को निर्धारित नहीं करना होगा।

xxi) कोई भी बोलीदाता एक से अधिक बोली प्रस्तुत नहीं करेगा।

xxii) बोली जमा करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता।

xxiii) कंसल्टेंसी फर्म आईआईएफसीएल से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखेगी और आईआईएफसीएल की लिखित सहमति के बिना बाहरी एजेंसियों को इसका खुलासा नहीं करेगी। चयन पर कंसल्टेंसी फर्म को असाइनमेंट शुरू होने से पहले **अनुलग्नक IX** में दी गई घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा।

xxiv) सफल बोली लगाने वाले को आईआईएफसीएल की केवाईसी नीति के अनुसार केवाईसी दस्तावेज जमा करने होंगे।

xxv) अनुबंध दस्तावेजों और सूचना का उपयोग:

चयनित बोलीदाता, आईआईएफसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, संविदा के निष्पादन में चयनित बोलीदाता द्वारा नियोजित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अनुबंध का खुलासा नहीं करेगा, या उसका कोई प्रावधान, या कोई विनिर्देश, नमूना या जानकारी प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसे किसी भी नियोजित व्यक्ति को प्रकटीकरण विश्वास में किया जाएगा और केवल वहीं तक बढ़ाया जाएगा जहां तक ऐसे प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो। चयनित बोलीदाता अपनी जिम्मेदारियों के निष्पादन में प्राप्त आईआईएफसीएल के बारे में सभी डेटा और जानकारी को गोपनीय मानेगा और आईआईएफसीएल की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी अन्य पार्टी को ऐसी जानकारी प्रकट नहीं करेगा।

xxvi) **सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर खरीद नीति:**

क. आईआईएफसीएल एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिचालित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का पालन करता है।

ख. उपरोक्त प्रावधानों के तहत एमएसई निविदा शुल्क और बयाना राशि जमा (ईएमडी) प्रस्तुत करने से छूट के हकदार होंगे।

ग. उपरोक्त प्रावधानों के तहत छूट/वरीयता प्राप्त करने की इच्छुक एजेंसियों/बोलीदाताओं को उपरोक्त नीति के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के प्रमाण की एक प्रति जमा करनी होगी।

xxvii) **कोई कानूनी संबंध नहीं:**

अनुबंध के निष्पादन तक किसी भी बोलीदाता और आईआईएफसीएल के बीच कोई बाध्यकारी वाणिज्यिक संबंध मौजूद नहीं होगा।

xxviii) **प्रस्ताव का मूल्यांकन:**

प्रत्येक बोलीदाता अभिस्वीकृति देता है और स्वीकार करता है कि आईआईएफसीएल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में योग्य कंसल्टेंसी फर्म (फर्मों) को शॉर्ट लिस्टिंग / चयन के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए आरएफपी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट चयन मानदंड लागू कर सकता है।

xxix) **चुक लेनी देनी:**

प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी दस्तावेज़ में पाई गई किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के बारे में आईआईएफसीएल को सूचित करना चाहिए।

xxx) **शर्तों की स्वीकृति :**

एक बोलीदाता, आरएफपी के लिए आईआईएफसीएल को प्रत्युत्तर देकर यह समझा जाएगा कि उसने इस करार की शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

xxxi) किसी भी संलग्न दस्तावेज सहित सभी सबमिशन, आईआईएफसीएल की संपत्ति बन जाएंगे। बोलीदाताओं को लाइसेंस के लिए समझा जाएगा, और मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए उनके प्रस्तुतीकरण के पूरे या किसी हिस्से को पुन: पेश करने, अन्य बोलीदाताओं को प्रस्तुत करने की सामग्री का खुलासा करने और सामग्री का खुलासा करने और/या उपयोग करने के लिए आईआईएफसीएल को सभी अधिकार प्रदान करेगा। आरएफपी के प्रसंस्करण के लिए आधार के रूप में प्रस्तुत करना, किसी भी कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार के बावजूद जो प्रस्तुत करने या दस्तावेजों के साथ मौजूद हो सकता है।

xxxii) **बोलीदाताओं के साथ संचार :**

आईआईएफसीएल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, आरएफपी बंद होने के बाद किसी भी बोलीदाता से अतिरिक्त जानकारी या सामग्री मांग सकता है और प्रदान की गई ऐसी सभी जानकारी और सामग्री को उस बोलीदाता की प्रतिक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए लिया जाना चाहिए।

बोलीदाताओं को अपने फैक्स, ईमेल और पूरे पते का विवरण प्रदान करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरएफपी का जवाब तुरंत दिया जा सकता है।

यदि आईआईएफसीएल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, यह मानता है कि प्रश्न के प्रवर्तक को किसी प्रश्न के उत्तर से लाभ प्राप्त होगा, तो आईआईएफसीएल सभी बोलीदाताओं को इस तरह की प्रतिक्रिया को संप्रेषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आईआईएफसीएल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, किसी भी बोलीदाता के साथ चर्चा या बातचीत में शामिल हो सकता है (या एक साथ एक से अधिक बोलीदाताओं के साथ) आरएफपी बंद होने के बाद किसी भी प्रतिक्रिया को सुधारने या स्पष्ट करने के लिए।

xxxiii) **अधिसूचना :**

आईआईएफसीएल सभी लघु-सूचीबद्ध बोलीदाताओं को उनके आरपी के परिणाम के बारे में यथाशीघ्र लिखित रूप में सूचित करेगा। आईआईएफसीएल ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

xxxiv) **अयोग्यता:**

शॉर्ट लिस्टिंग, स्थिति आदि के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रचार/लॉबिंग/प्रभाव/प्रश्न अयोग्यता होगी।

xxxv) **लागू (उपयोज्य) नियम:**

संविदा की व्याख्या भारत में प्रचलित कानूनों के अनुसार की जाएगी।

xxxvi) **सभी लागू कानूनों और क्षतिपूर्ति का अनुपालन :**

कंसल्टेंसी फर्म उनके, उनके व्यवसाय, उनके कर्मचारियों या उनके प्रति उनके दायित्वों से संबंधित या लागू होने वाले सभी कानूनों के बारे में आईआईएफसीएल को देखने, पालन करने, अनुपालन करने और भविष्य में लागू होने वाले सभी कानूनों के बारे में आईआईएफसीएल को सूचित करने का कार्य करेगी। वे और इस आरएफपी के सभी उद्देश्य पूरा करेंगे।

xxxvii) **क्षतिपूर्ति :**

सफल बोलीदाता आईआईएफसीएल की क्षतिपूर्ति करेगा, और आईआईएफसीएल, उसके कर्मचारियों, कर्मियों, अधिकारियों, निदेशकों को हमेशा क्षतिपूर्ति करेगा और किसी भी और सभी हानियों, देनदारियों, दावों, कार्यों, लागतों और खर्चों (वकीलों की फीस सहित) से हानिरहित रखेगा। करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से आईआईएफसीएल के खिलाफ लाए गए किसी भी दावे, मुकदमे या कार्यवाही से उत्पन्न होता है:

क. आईआईएफसीएल द्वारा इस आरएफपी के तहत डिलिवरेबल्स (प्रदेय) और/या बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अधिकृत/वास्तविक उपयोग; और/या

ख. इस आरएफपी के तहत दायित्वों के प्रदर्शन में बोलीदाता और/या उसके कर्मचारियों का कोई कार्य या चूक; और/या

ग. आईआईएफसीएल के खिलाफ बोलीदाता द्वारा तैनात कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे; और/या

घ. रोजगार से उत्पन्न होने वाले दावे, पारिश्रमिक का भुगतान न करना और अपने कर्मचारियों को बोली लगाने वाले द्वारा सांविधिक लाभों का प्रावधान न करना

a. ड.. इस आरएफपी की किसी भी अवधि का उल्लंघन या इस आरएफपी के तहत किसी भी प्रतिनिधित्व या गलत प्रतिनिधित्व या गलत बयान या आश्वासन या अनुबंध या बोलीदाता की वारंटी का उल्लंघन; और/या

च. किसी भी पेटेंट, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट या ऐसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई या सभी डिलिवरेबल्स या सेवाएं; और/या

छ. इस आरएफपी में निहित बोलीदाता के गोपनीयता दायित्वों का उल्लंघन; और/या

ज. बोलीदाता या उसके कर्मचारियों के कारण लापरवाही या घोर कदाचार

xxxviii) **अप्रत्याशित घटना:**

यदि इस आरएफपी या अनुबंध में निर्दिष्ट निष्पादन को आग, विस्फोट, चक्रवात, बाढ़, युद्ध, क्रांति, सार्वजनिक शत्रुओं के कृत्यों, रुकावट या प्रतिबंध, किसी भी कानून, आदेश, उद्घोषणा के कारण रोका, प्रतिबंधित, विलंबित या बाधित किया जाता है, किसी भी सरकार या प्राधिकरण या ऐसी किसी भी सरकार के प्रतिनिधि के अध्यादेश, मांग या आवश्यकताएं, जिसमें प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं या विनियमों, हड़तालों, शटडाउन या श्रम विवादों को शामिल किया गया है, जो यहां दायित्वों से बचने के उद्देश्य से नहीं हैं, या किसी भी अन्य परिस्थितियों के नियंत्रण से परे हैं। एवं पार्टी प्रभावित होती है, तो निहित होने से पहले यहां कुछ भी होने के बावजूद, प्रभावित पार्टी को उसके निष्पादन से उस हद तक छूट दी जाएगी जहां तक ऐसा निष्पादन रोकथाम, प्रतिबंध, देरी या हस्तक्षेप से संबंधित है, बशर्ते कि प्रभावित पार्टी गैर- निष्पादन के ऐसे कारण को दूर करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करती है। निष्पादन और बाधाएं हटाए जाने पर पार्टी अत्यधिक प्रेषण के साथ निष्पादकता जारी रखेगी। यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कंसल्टेंसी फर्म तुरंत आईआईएफसीएल को ऐसी स्थिति, उसके कारण और शर्तों के कारण आवश्यक परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगी। जब तक अन्यथा आईआईएफसीएल द्वारा लिखित रूप में निर्देशित नहीं किया जाता है, कंसल्टेंसी फर्म अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेगी, जहां तक यथार्थ रूप से व्यावहारिक है, और अप्रत्याशित घटना की घटना से रोका नहीं जाने वाले प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगी।

xxxix) **ज़ब्ती :**

बोली-प्रतिभूति (बयाना राशि) [ईएमडी] जब्त की जा सकती है यदि :

क. यदि कोई फर्म बोली पर फर्म द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेती है; या

ख. यदि सफल/चयनित फर्म कार्य के क्षेत्र/आरएफपी को स्वीकार करने या ़निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहती है।

आईआईएफसीएल को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में बोलीदाता की विफलता के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, के लिए निष्पादन प्रतिभूति की आय को समायोजित/समायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह नुकसान/क्षति को पूरी तरह से कवर करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने की स्थिति में बोलीदाता के खिलाफ आईआईएफसीएल के पास कार्रवाई करने के अधिकार सुरक्षित हैं।

अनुलग्नक 1

कार्य का विस्तृत दायरा

विषय–सूची

अध्याय सं.		विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
1.		गतिविधि का दायरा	
	1.	ऋण (क्रेडिट) विभाग और सीएसडी	30-32
	2.	लेखा एवं सीएलए विभाग	32-33
	3.	संसाधन एवं कोषागार विभाग	33-34
	4.	मानव संसाधन विभाग	34-35
	5.	सामान्य प्रशासन विभाग	35
	6.	एनपीए प्रबंधन विभाग	35-36
	7.	अन्य	36

5.1. प्रस्तावना

प्रस्ताव के लिए यह अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज़ केवल संभावित उत्तरदाताओं को सूचित करने और आईआईएफसीएल के समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए पेशेवर फर्मों/एजेंसियों के पैनल में शामिल होने/नियुक्ति के लिए बोलियां मांगने के लिए तैयार किया गया है। चयनित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म/लागत लेखाकार दैनिक/नियमित आधार पर संचालन का समवर्ती ऑडिट करेंगे और अपने निष्कर्षों के आधार पर आईआईएफसीएल के संचालन के कामकाज में सुधार के लिए नियमित रूप से उपाय भी सुझाएंगे। असाइनमेंट में संचालन को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण और आईटी प्रणाली की पर्याप्तता पर सत्यापन और पुष्टि भी शामिल होगी। समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की फर्म/एलएलपी द्वारा नियुक्त कर्मचारी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार होना चाहिए और कार्य के क्षेत्र में अनुभवी होना चाहिए।

आईआईएफसीएल के कार्यों को पंजीकरण, विवेकपूर्ण मानदंडों, पूंजी पर्याप्तता, मानदंडों, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, आय मान्यता, लेखांकन मानकों, क्रेडिट/निवेश मानदंडों, केवाईसी मानदंडों के अनुपालन, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के कोड को अपनाने के संदर्भ में आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है। कई प्रकटीकरण आवश्यकताएँ। इसके अलावा, भारत सरकार, सेबी आदि जैसे नियामक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशानिर्देश/नीतियां आईआईएफसीएल पर लागू हैं।

5.2 उद्देश्य

1. समवर्ती लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समवर्ती लेखापरीक्षा (ऑडिट) एक ऐसी जांच है जो लेन-देन की घटना के समसामयिक होती है या यथासंभव उसके करीब की जाती है। समवर्ती लेखापरीक्षा का उद्देश्य लेन-देन की एक साथ आंतरिक जांच करने और आईआईएफसीएल की निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में आईआईएफसीएल के प्रयासों को पूरक बनाना है।

2. समवर्ती लेखा परीक्षक की भूमिका

समवर्ती लेखा परीक्षक की भूमिका यह देखना है कि लेनदेन ठीक से दर्ज, अधिकृत, दस्तावेजीकृत और प्रमाणित हैं। इससे अनियमितताओं को मौके पर ही ठीक किया जाना चाहिए और प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए। समवर्ती लेखा परीक्षक को खाते की प्रारंभिक समस्याओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत देने की स्थिति में होना चाहिए, जिसका समय पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए तुरंत विश्लेषण किया जाना चाहिए। समवर्ती लेखा परीक्षक की पूरक भूमिका संभावित/मौजूदा एनपीए खाते के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर टिप्पणी करना है।

कार्य के प्रमुख क्षेत्र (विभागवार) शामिल हैं:

लेन-देन को उचित स्तर पर सत्यापित/वाउच और पुष्टि करें और अनुपालन पर रिपोर्ट करें कि क्या लेन-देन उचित खातों के शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है और प्रमाणित करें कि एसएपी प्रणाली में पारित लेखांकन प्रविष्टि बही/उप-खाता/उप खाते में ठीक से प्रवाहित हो रही है। लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार और वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रतिबिंबित होना। कोई असामान्य वस्तु/मामला, जिस पर विभागों द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका हो, दर्शाया जाये। इस तरह के सत्यापन के लिए, ऑडिटर को एसएपी सिस्टम से प्रत्येक दिन की डे बुक डाउनलोड करनी होगी और किए गए/न

किए गए सत्यापन के संबंध में प्रत्येक प्रविष्टि के साथ-साथ ऐसा न करने के कारणों और लंबित प्रविष्टियों को फिर से देखने के लिए समय सीमा के साथ प्रमाणित करना होगा।

क्रेडिट विभाग और सीएसडी

आईआईएफसीएल का बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में ऋण देने का मुख्य कार्य क्रेडिट विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्रेडिट फ़ंक्शन सहित आईआईएफसीएल का संपूर्ण संचालन समग्र तत्वावधान में और सिफटी (SIFTI) के अनुरूप किया जाता है। विस्तृत सिफ्टी योजना आईआईएफसीएल की वेबसाइट www.iifcl.org पर उपलब्ध है। विभाग की अपनी क्रेडिट नीति है जो आईआईएफसीएल के व्यापक परिचालन ढांचे को कवर करती है और इसे कार्यभार ग्रहण करने पर चयनित बोलीदाता के साथ साझा किया जाएगा। चयनित बोलीदाता को यह जांचना होगा कि प्रत्येक खाते में निर्धारित दिशानिर्देशों/नीति आदि के अनुसार लागू शुल्क/शुल्क आदि लिया गया है। ऋण (क्रेडिट) विभाग के लिए जाँच की जाने वाली गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. मंजूरी पूर्व चरण

(i) उधारकर्ता के आवेदन की जांच करना।

(ii) सीईआईबी (CEIB) रिपोर्ट की जाँच करना।

(iii) उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों/जानकारी की पूर्णता और उपयुक्तता को सत्यापित करना।

(iv) यह सत्यापित करने के लिए कि प्रस्ताव को बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष रखने से पहले उचित प्रक्रिया/प्रक्रिया का पालन किया गया है।

(v) उधारकर्ता की ऋण पात्रता की जांच के लिए सिबिल (CIBIL) और भा.रि.बैं (RBI) डिफॉल्टर (चूककर्ता) सूची को सत्यापित करना।

(vi) बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बाहरी रेटिंग को सत्यापित करना।

(vii) आईआईएफसीएल की आंतरिक रेटिंग को सत्यापित करने के लिए और जोखिम विभाग की सभी टिप्पणियों को एमआईसी प्रस्तावों/मिनटों में उचित रूप से शामिल किया गया है।

(viii) सिफटी (SIFTI) के अनुसार मंजूरी के लिए पात्रता मापदंडों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए, योजना से अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने के संबंध में संबंधित उत्पाद जैसे टेक-आउट, पुनर्वित्त, क्रेडिट वृद्धि आदि, आईआईएफसीएल की मौजूदा क्रेडिट नीति के साथ-साथ आईआईएफसीएल, भा.रि.बैं (RBI) और अन्य नियामक प्राधिकारणों द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों के साथ सत्यापन करना।

(ix) बैंक/एनबीएफसी के समवर्ती और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा खरीदे गए ऋणों के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी के सत्यापन सहित क्रेडिट निगरानी प्रक्रियाओं को सत्यापित करना।

2. पश्च मंजूरी प्रथम संवितरण चरण

(i) किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उधारकर्ता के साथ एलओआई की मूल स्वीकृति को सत्यापित करना।

(ii) सभी मौजूदा दिशानिर्देशों और मंजूरी की शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करना।

(iii) यह सत्यापित करने के लिए कि मंजूरी की शर्तें, जैसा कि मंजूरी देने वाले अधिकारियों को दी गई हैं, उधारकर्ता को मंजूरी देते समय ध्यान में रखी जाती हैं।

(iv) यह पुष्टि करने के लिए कि क्या मंजूरी के चरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित जोखिम को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का अनुपालन किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(v) निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए, सुरक्षा निर्माण, सीईआरएसएआई-पंजीकरण और शुल्क एकत्रित किया गया।

(vi) संवितरण का सत्यापन:

प्रत्येक मामले के संबंध में दी जाने वाली पुष्टि:

क. सुरक्षा के निर्माण और आरओसी शुल्क पंजीकरण सहित विभिन्न पूर्व-प्रतिबद्धता, पूर्व-संवितरण और अन्य शर्तों के अनुपालन की स्थिति पर अनुपालन चार्ट का सत्यापन।

ख. उन मामलों में समय सीमा के पालन के संबंध में सत्यापन जहां किसी भी पुनर्वितरण या अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाना बाकी था या सुरक्षा का कोई हिस्सा नहीं बनाया गया था, जहां ऐसी शर्तों के अनुपालन के लिए विशिष्ट समय सीमा पर सहमति हुई थी।

ग. यह सत्यापित करने और पुष्टि करने के लिए कि शर्तों में छूट/संशोधन के लिए सभी स्वीकृतियां क्रेडिट नीति के अनुरूप हैं और प्रचलित नीति और परिपत्रों के संदर्भ में प्रबंधन और निवेश समिति (एमआईसी) /बोर्ड को उचित रिपोर्टिंग के साथ प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार हैं। उनका अनुपालन किया गया है। उन मामलों की सूची दी जानी चाहिए जहां ऑडिट अवधि के दौरान मंजूरी के नियमों और शर्तों में बदलाव/संशोधन किया गया है।

घ. यह सत्यापित और पुष्टि करने के लिए कि स्वीकृत सहायता को नियंत्रित करने वाले मुख्य नियमों और शर्तों का अनुपालन किया गया है।

च. यह सत्यापित करने और पुष्टि करने के लिए कि "क्रेडिट सपोर्ट डिपार्टमेंट (सीएसडी)" ने खाते में पहले और आखिरी संवितरण से पहले अनुपालन को सत्यापित किया है।

(vii) क्या ऋण समझौते में परिभाषित पूर्व-परिभाषित (सामान्य ऋण समझौते के अनुसार) ऋण-इक्विटी मानदंडों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता द्वारा इक्विटी इन्फ्यूजन अनुसूची का पालन किया गया है।

(viii) सिस्टम में डेटा/सूचना की उचित और सही प्रविष्टि को सत्यापित करना।

(ix) निधियों के उचित अंतिम उपयोग को सत्यापित करना ताकि उधारकर्ताओं द्वारा निधियों की हेराफेरी / हेराफेरी को रोका जा सके।

3. निगरानी और उसके बाद के संवितरण का चरण

i) यह सत्यापित करना और पुष्टि करना कि सुरक्षा कवरेज, बकाया भुगतान के संदर्भ में सभी मामलों की लेखापरीक्षकों (ऑडिटरों) द्वारा दिए जाने वाले शेयरों और अन्य विचलनों को गिरवी रखने और नियमित अंतराल पर सुरक्षा ट्रस्टी प्रमाणपत्र प्राप्त करने सहित वास्तविक और निर्धारित सुरक्षा कवर पर विशिष्ट टिप्पणियाँ की नियमित आधार पर निगरानी की गई है। यह भी विशिष्ट टिप्पणियाँ की जानी चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सुरक्षा कवर का विधिवत पालन किया जा रहा है।

ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की शर्तों के अनुसार ब्याज दर के आवधिक रीसेट को सत्यापित करना और सिस्टम में इसे अद्यतन करना।

iii) मंजूरी की शर्तों के साथ आवधिक/आवर्ती अनुपालन को सत्यापित करना।

iv) निर्माण के दौरान अतिदेय ब्याज के समायोजन/वित्त पोषण का सत्यापन (आईडीसी)।

v) उन खातों की जांच करें जहां (एसएमए0, एसएमए1, एसएमए2) में फिसलन के संकेत दिख रहे हैं।

vi) पिछले संवितरण के उपयोग/अंतिम उपयोग प्रमाणपत्रों को सत्यापित करें।

vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की प्राप्ति और सत्यापन को सत्यापित करना।

viii) यह सत्यापित करने के लिए कि संवितरण ड्रा डाउन अनुसूची के अनुसार किया गया है। यदि नहीं, तो क्या उधारकर्ता से प्रतिबद्धता शुल्क लिया गया है।

ix) मंजूरी की अंतिम उपयोग संबंधी शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करना

x) मंजूरी शर्तों के अनुसार प्रत्येक चरण में डीएससीआर, ऋण इक्विटी अनुपात आदि जैसे वित्तीय मापदंडों के रखरखाव को सत्यापित करना
xi) डीएसआरए (DSRA) निर्माण/माफी आदि के लिए अनुमोदन की स्थिति को सत्यापित करना।
xii) यह सत्यापित करने के लिए कि सिस्टम (एसएपी) में सही डेटा और लेखांकन प्रविष्टि दर्ज की गई है।
xiii) सही ब्याज दर के आवेदन को सत्यापित करना और सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित शर्तों को रीसेट करना
xiv) सिस्टम में सभी प्रासंगिक डेटा की प्रविष्टि को सत्यापित करने के लिए, उदाहरण के लिए, पुनर्भुगतान अनुसूची, ड्रॉडाउन शेड्यूल, ब्याज का रीसेट, बाहरी क्रेडिट रेटिंग, साइट विजिट आदि।
xv) ऑडिट की अवधि के दौरान सभी मानक संपत्तियों के पोर्टफोलियो के संबंध में देय तिथियों पर देय भुगतान की स्थिति को ऑडिट के चरण तक सत्यापित करना और टिप्पणी करना और चूक की घटना, यदि कोई हो, पर टिप्पणियां देना। ऐसे मामलों में, जहां लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मंजूरी शर्तों में संशोधन किया जाता है, लेखापरीक्षकों को लागू कानूनी / नियामक ढांचे के आलोक में ऐसे संशोधनों के अनुपालन को सत्यापित करना होगा।
xvi) लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गारंटियों/आराम पत्र के आह्वान का विवरण प्रदान करना होगा।
xvii) यह सत्यापित करने के लिए कि प्रत्येक खाते की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जा रही है।
xviii) निधियों के उचित अंतिम उपयोग को सत्यापित करना ताकि उधारकर्ताओं द्वारा निधियों की हेराफेरी / हेराफेरी को रोका जा सके।
xix) घटना घटित होने से पहले आईआईएफसीएल के विवेक पर आवश्यकता के अनुसार किसी भी खाते को सत्यापित करना।
xx) पहले से भुगतान किए गए खातों में अतिरिक्त राशि की वापसी को सत्यापित करना।
xxi) अधिस्थगन मामलों के लिए ब्याज पर ब्याज की वापसी को सत्यापित करना

4. पुष्टिकरण पत्र(एलओसी) प्रक्रिया की निगरानी

क. उधारकर्ता को पुष्टिकरण पत्र(एलओसी) सीमा की मंजूरी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना सत्यापित करना।
ख. अब तक जारी सभी पुष्टिकरण पत्र(एलओसी) की सही डेटा प्रविष्टि को सत्यापित करना।
ग. पुष्टिकरण पत्र(एलओसी) कमीशन की उचित गणना और प्राप्ति।

लेखा एवं सीएलए विभाग

i) व्यवसाय और प्रबंधकीय आवश्यकताओं के अनुसार अकाउंट मॉड्यूल में कंपनी के लेनदेन की मैपिंग की पर्याप्तता और पूर्णता की जांच करना।
ii) यह सुनिश्चित करना कि एसएपी (सैप) के माध्यम से उत्पन्न जानकारी/दस्तावेज/रिपोर्ट सभी प्रबंधकीय, ग्राहक और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सटीक हैं।
iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमिकाएँ और प्राधिकरण उचित रूप से परिभाषित हैं और कर्तव्यों को तर्कसंगत रूप से अलग किया गया है।
iv) राजस्व के रिसाव के मामलों की पहचान करना – ब्याज की गलत गणना के कारण, समय पर ब्याज लागू न करना, ब्याज/विनिमय/कमीशन की गलत दरें लागू करना, दंडात्मक ब्याज लागू न करना, सेवा शुल्क आदि वसूली न करना या कम वसूली करना।

v) ब्याज की सही दरों के आवेदन को सत्यापित करना।
vi) एसएलआर आवश्यकताओं के अनुपालन पर रिपोर्ट करना।
vii) इस पर रिपोर्ट करना कि क्या आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं।
viii) यह रिपोर्ट करना कि क्या कंपनी के कामकाज में कोई गंभीर अनियमितता देखी गई है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
ix) प्रकटीकरण सहित पूंजी पर्याप्तता अनुपात का प्रमाणीकरण
x) खातों के नोट्स में बताई गई आवश्यकताएँ और अन्य अनुपात।
xi) परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन पर रिपोर्ट करना।
xii) जर्नल प्रविष्टियों की उपयुक्तता का परीक्षण करना। यानी उन आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा करना जो बहीखाता (जोर्नल) प्रविष्टियों और धोखाधड़ी वाली जर्नल प्रविष्टियों के अन्य समायोजन/विशेषताओं या व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के बाहर संसाधित अन्य समायोजनों पर लागू किए गए हैं।
xiii) पीएफ, ईएसआई आदि सहित सभी वैधानिक बकाए की ठीक से जांच और सत्यापन करना।
xiv) परिसंपत्तियों के उचित वर्गीकरण को सत्यापित करना और यह जांचना कि अपेक्षित मूल्यह्रास दर प्रत्येक परिसंपत्ति को दी गई है
xv) यह सत्यापित करना कि ऑन बैलेंस शीट/ऑफ बैलेंस शीट और अन्य मदों को उचित जोखिम भार दिया गया है।
xvi) आईआईएफसीएल अधिकारियों से संबंधित भुगतान/कटौती पर टिप्पणी करना।
xvii) व्यय को उचित स्तर पर सत्यापित/पुष्टि करना और अनुपालन पर रिपोर्ट करना कि क्या व्यय उचित लेखा शीर्षों के तहत दर्ज किए गए थे। कोई असामान्य वस्तु/मामला, जिस पर विभाग द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण/विवरण नहीं दिया जा सका हो, दर्शाया जाये।
xviii) सभी बैलेंस शीट शीर्षों और खातों में बकाया प्रविष्टियों की समीक्षा, जैसे, सस्पेंस, विविध और अंतर-बैंक खाते। प्रत्यावर्तन हेतु लंबित प्रविष्टियों की अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
xix) आरबीआई, सेबी, आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम, जीएसटी परिषद आदि जैसे सभी नियामक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए लेखा विभाग की समग्र कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करना।
xx) आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और एक्सपोज़र मानदंडों से संबंधित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गीकरण श्रेणियों की जांच करना।
xxi) स्रोत पर कर कटौती, सेवा कर, व्यापार कर, अन्य शुल्क और करों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन।

संसाधन एवं कोषागार विभाग (R&T)

आर एंड टी विभाग के मुख्य कार्य में कंपनी के धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और धन जुटाने की लागत को न्यूनतम रखना शामिल है। लेखापरीक्षा इकाई को जाँच करनी होगी:
i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों/योजना के अनुसार संसाधन/धन जुटाने का सत्यापन करना और प्राप्त किए गए डेटा का पूर्ण सत्यापन करना।
ii) उधार और निवेश पर ब्याज की गणना को सत्यापित करना।
iii) अनुमोदन/नीति/नियामक मानदंडों के अनुसार धन की तैनाती/निवेश की जांच करना।
iv) दैनिक निधि संचलन, निधि की मासिक लागत आदि पर टिप्पणी करना।

v) एमटीएम लाभ/हानि की गणना को सत्यापित करना और उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्टिंग की जांच करना।
vi) ब्याज और या बांड और अन्य उपकरणों के मोचन और उनके समाधान के कारण किए गए सभी भुगतानों की जांच / सत्यापन। साथ ही देनदारियों की समय पर अदायगी की पुष्टि करना और यह भी सुनिश्चित करना कि भुगतान सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के बाद किया गया है।
vii) विदेशी मुद्रा उधार के समय पर पुनर्भुगतान की जाँच करना।
viii) तैनात निधियों की समय पर प्राप्ति और उस पर ब्याज की जाँच करना।
ix) एडीबी, विश्व बैंक आदि जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से उपलब्ध विदेशी फंडिंग पर लागत की गणना।
x) आरबीआई नियमों और आईआईएफसीएल की वर्तमान नीति के अनुसार फंड की उचित हेजिंग (क्रॉस करेंसी स्वैप) की पुष्टि करते हुए सभी डेरिवेटिव लेनदेन की जांच करना।
xi) आईआईएफसीएल की बेंच मार्क दर/आधार दर की गणना का सत्यापन/जांच करना।
xii) उधार और निवेश पर ब्याज गणना को सत्यापित करने के लिए।
xiii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईआईएफसीएल का खजाना संचालन आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया गया है।
xiv) ट्रेजरी सौदों/संरचित सौदों के संबंध में नियामक दिशानिर्देशों का पालन।
xv) जहां भी लागू हो, सौदे में संशोधन/रद्दीकरण/हटाने पर नियंत्रण।
xvi) अग्रिम अनुबंधों को रद्द करना और विनिमय लाभ/हानि को पार करना/वसूली करना।
xvii) आईआईएफसीएल द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र के संदर्भ में अप्रयुक्त बीआर फॉर्म की हिरासत और उनके उपयोग की जांच करना।
xviii) चयनित सीए फर्म को यह समीक्षा करनी होगी कि संसाधन और ट्रेजरी विभाग के सभी लेनदेन। मौजूदा रैंड टी नीति, आईआईएफसीएल की निवेश नीति और आरबीआई, सेबी आदि द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्धारित नीतियों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुरूप हैं।
xix) लेन-देन के दौरान मौजूदा नीति के अनुसार सत्ता के प्रत्यायोजन की समीक्षा की जाती है।
xx) आईआईएफसीएल द्वारा बनाए गए विभिन्न डीमैट खातों की जांच करना और उन पर टिप्पणी करना / उसके बाद आईआईएफसीएल / बैलेंस शीट द्वारा बनाए गए खातों की तुलना में ऐसे खातों की शेष राशि पर टिप्पणी करना।
xxi) मौजूदा नीति के गैर-अनुपालन और उसके निवारण के विभिन्न उदाहरणों पर टिप्पणी करना।
xxii) बहुपक्षीय एजेंसियों ADB/JICA/EIB/KFW/WB और घरेलू एजेंसियां एवं बैंक को ब्याज भुगतान के लिए ब्याज गणना को सत्यापित करना

धोखाधड़ी प्रबंधन

ऑडिट इकाई को उपरोक्त सभी तीन विभागों क्रेडिट विभाग, लेखा विभाग और संसाधन एवं कोषागार विभाग के संबंध में निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा।
i) सत्यापित और पुष्टि करने के लिए कि एनबीएफसी के लिए आरबीआई/नियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर केवाईसी/एएमएल/सीएफटी/निदेशक मंडल द्वारा तैयार और भारत सरकार आदि के अनुमोदित किए गए केवाईसी/एएमएल/सीएफटी/उचित व्यवहार संहिता को पूरा किया गया है। किसी भी गड़बड़ी को विशेष रूप से सामने लाया जाना चाहिए।
ii) लेखा परीक्षकों को नियामक निकायों यानी आरबीआई / सेबी / कर विभाग / सरकार के दिशानिर्देशों / निर्देशों के गैर-अनुपालन पर सत्यापित और विशिष्ट टिप्पणियां करनी होंगी।

iii) लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा देखी गई बड़ी चूक/अनियमितता/दुरुपयोग/धोखाधड़ी (यदि कोई हो) पर टिप्पणी करनी होगी, जिससे संगठन को नुकसान हुआ है।

मानव संसाधन विभाग (HR)

आईआईएफसीएल के मानव संसाधन विभाग ने कर्मचारी सेवा विनियमों को विधिवत मंजूरी दे दी है और सिडबी के अनुरूप सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। चयनित सीए फर्म को जांच करनी होगी:
i) सिस्टम में दर्ज किए गए डेटा की शुद्धता।
ii) विभिन्न एचआर मदों जैसे छुट्टियाँ, अनुलाभों और अन्य भत्तों का भुगतान, वेतन की गणना, करों की कटौती, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान और अन्य सभी कर्मचारी संबंधित लाभों और खर्चों की गणना के लिए लागू तर्क और शुद्धता।
iii) कर्मचारियों को ऋण स्वीकृत करना और लागू ब्याज दर की सत्यता की जाँच करना।
iv) कर्मचारी कल्याण निधि के उचित रखरखाव पर सत्यापन और टिप्पणी करना।
v) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, वेतन वृद्धि, पदोन्नति पर वेतन-निर्धारण और वेतन संशोधन आदि का सत्यापन करना।
vi) प्रचलित नीति/परिपत्रों के अनुसार सभी बिलों और प्रतिपूर्ति (चिकित्सा, टी.ए., एलएफसी आदि) को सत्यापित करना।
vii) भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया और किसी अन्य कार्मिक संबंधी मुद्दे का सत्यापन।
viii) विभाग द्वारा किए गए सभी खर्चों/विक्रेता भुगतान की जाँच करना।
ix) कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि, यदि कोई हो, को सत्यापित करना।
x) सेवानिवृत्ति/इस्तीफा/समाप्ति/वीआरएस के मामले में पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में नियमित कर्मचारियों/संविदा कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि का सत्यापन।
ix) मानव संसाधन विभाग के ऑडिट के दौरान पाई गई कोई अन्य अनियमितता।

i. Tयह सत्यापित करने के लिए कि कर्मचारियों को सभी भुगतान और अन्य प्रशासनिक भुगतान/लेनदेन अर्थात। मासिक सीएपी भुगतान, टीए/एचए बिलों का निपटान, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, टैक्सी किराए पर लेना, हवाई टिकट, सुरक्षा बिल आदि मौजूदा बैंक के दिशानिर्देशों के भीतर हैं, जिसमें शक्ति का प्रतिनिधिमंडल (डीओपी) भी शामिल है।
ii. यह सत्यापित करने के लिए कि सभी कर्मचारी अग्रिम/पीएफ निकासी मौजूदा बैंक के दिशानिर्देशों और डीओपी के अंतर्गत
iii. यह सत्यापित करने के लिए कि टीडीएस की गणना सही ढंग से की गई है और लागू कानून के अनुसार कटौती की गई है और कर अधिकारियों को भुगतान किया गया है।
iv. यह सत्यापित करने के लिए कि वैधानिक भुगतान और रिटर्न कानून के अनुसार किया गया है।
v. वर्टिकल के लेनदेन का कोई अन्य पहलू।
vi. बैंक के संचालन पर कोई अन्य क्षेत्र जो प्रकृति में महत्वपूर्ण हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग

फर्म को यह जांचना है कि:
i) भारत सरकार के नवीनतम जीएफआर 2017 और समय-समय पर संशोधन के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में प्रक्रिया और उपयुक्तता।
ii) वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के विरुद्ध विक्रेता भुगतान।

iii) अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यालय परिसर की खरीद और रखरखाव से संबंधित बिलों का सत्यापन।
iv) उच्च मूल्य के विशेष अनुबंधों की ठीक से जांच की जानी चाहिए।
v) संपत्ति (आस्तियों) का पूंजीकरण।
vi) खरीदी गई या रखी जा रही संपत्तियों (आस्तियों) का सत्यापन।
vii) इन्वेंट्री(मालसूची) का भौतिक सत्यापन, इन्वेंट्री जारी करने पर नियंत्रण, सुरक्षा प्रपत्रों को सुरक्षित रखना और अभिरक्षा करना। ऐसी वस्तुओं के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करें।
viii) सस्पेंस (उचंत) खाते में उच्च मूल्य व्यय और डेबिट प्रविष्टियों सहित उच्च मूल्य लेनदेन पर अधिक जोर देने के साथ दैनिक वाउचर की जांच।
ix) क्या केवाईसी/वाउचर और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित रिकॉर्ड निर्धारित आवधिकता के अनुसार अभिलेखीय केंद्र, रिकॉर्ड रूम जैसे विशिष्ट स्थानों पर भेजे जाते हैं।

एनपीए (NPA) विभाग

नीचे दिए गए अनुसार लीड बैंक/कंसोर्टियम के अनुरूप समाधान/वसूली के लिए विभिन्न तरीकों की अनुवर्ती कार्रवाई का सत्यापन करना :
i) समाधान योजना में अन्य बातों के साथ-साथ लागत वृद्धि वित्तपोषण, पुनर्गठन, प्रबंधन में परिवर्तन, पुनर्वित्त आदि शामिल है।
ii) मूलधन और ब्याज पुनर्भुगतान को स्थगित करने वाला पुनर्गठन,
iii) ब्याज का वित्तपोषण, विभिन्न ऋण उपकरणों में अस्थिर हिस्से को अलग करना आदि।
iv) लास्ट माइल फाइनेंसिंग / कॉस्ट ओवररन फंडिंग / वन टाइम फंड इन्फ्यूजन (ओटीएफआई)।
v) बाहर निकलने की रणनीतियाँ।
vi) एकमुश्त निपटान (ओटीएस) /बातचीत पर समझौता/समझौता समझौता।
vii) दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत डीआरटी, एनसीएलटी के संदर्भ सहित कानूनी कार्रवाई और वसूली।
viii) एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और/या पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) / अन्य संस्थाएँ या किसी अन्य संपत्ति को बेचा हो।

उपरोक्त पर रिपोर्ट

1. इसमें शामिल समग्र जोखिमों पर टिप्पणी करना और रिपोर्ट के साथ इसे कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना,
क) जोखिम श्रेणी - उच्च, मध्यम या निम्न,
ख) जोखिम संभावना - जोखिम की घटना की आवृत्ति (यानी, उच्च, मध्यम या निम्न में)।
ग) जोखिम प्रभाव - व्यावसायिक उद्देश्यों पर जोखिम का प्रभाव (अर्थात, उच्च, मध्यम या निम्न में)।
घ) जोखिम की प्रवृत्ति - क्या जोखिम स्थिर, बढ़ती या घटती प्रवृत्ति दिखा रहा है।
च) जोखिम पर सामान्य वक्तव्य - इसमें की गई टिप्पणियों/पायी गयी विपथन/जोखिम रेटिंग पर सामान्य टिप्पणी शामिल होगी।

अन्य

(i) प्रदेय (योग्य) वस्तुओं का भौतिक सत्यापन, जारी करने पर नियंत्रण, सुरक्षित रखना और अभिरक्षा एवं अन्य सुपुर्दगी ।
(ii) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निष्पादित क्षतिपूर्तियों की जांच और निष्पादित दस्तावेजों का सत्यापन।

(iii) इसमें शामिल समग्र जोखिमों पर टिप्पणी करना और रिपोर्ट के साथ इसे कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना।

क) जोखिम/श्रेणी-उच्च, मध्यम या निम्न,

ख) जोखिम संभावना - जोखिम की 1 घटना की आवृत्ति {अर्थात, उच्च, मध्यम या निम्न में

ग) जोखिम प्रभाव: व्यावसायिक उद्देश्यों पर जोखिम का प्रभाव (अर्थात, उच्च, मध्यम या निम्न में)।

घ) जोखिम की प्रवृत्ति: क्या जोखिम स्थिर, बढ़ती या घटती प्रवृत्ति दिखा रहा है।

च) जोखिम पर सामान्य वक्तव्य: इसमें की गई टिप्पणियों/पायी गयी विपथन/जोखिम रेटिंग पर सामान्य टिप्पणी शामिल होगी।

छ) आईआईएफसीएल के विवेक पर कोई अन्य कार्यक्षेत्र/विभाग जोड़ा जा सकता है।

रिपोर्टिंग प्रणाली (व्यवस्था)

(i) आईआईएफसीएल अपनी संवेदनशीलता के अनुसार एक रिपोर्टिंग प्रणाली और विभिन्न जांच सूची वस्तुओं की आवधिकता तैयार कर सकता है।

(ii) समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा बताई गई छोटी अनियमितताओं को मौके पर ही ठीक किया जाना है। गंभीर अनियमितताओं की सूचना तत्काल कार्रवाई के लिए नियंत्रण विभागाध्यक्ष को दी जानी चाहिए।

(iii) एसीबी को समवर्ती लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की क्षेत्र-वार रिपोर्टिंग होनी चाहिए और लेखापरीक्षा प्रणाली की एक वार्षिक रिपोर्ट एसीबी के समक्ष रखी जानी चाहिए।

(iv) जब भी धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता चलता है, तो तुरंत निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा विभाग तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी को भी सूचित किया जाना चाहिए

(v) समवर्ती लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की उचित रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, आईआईएफसीएल को एक संरचित प्रारूप तैयार करना चाहिए। ऑडिट के दौरान देखी गई प्रमुख कमियों/अनियमितताओं को एक विशेष नोट में उजागर किया जाना चाहिए और तुरंत विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को दिया जाना चाहिए। समवर्ती ऑडिट के दौरान लाई गई महत्वपूर्ण विशेषताओं वाली एक त्रैमासिक समीक्षा एसीबी के समक्ष रखी जानी चाहिए।

(vi) समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई को नियंत्रण कार्यालय/निरीक्षण और लेखापरीक्षा विभाग द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और समय की हानि के बिना सुविधाओं का सुधार किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक – II

प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पत्र

(स्थान, दिनांक)

सेवा में,
आंतरिक लेखापरीक्षक,
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफ़सीएल)
प्लेट ए एवं बी, टावर 2, 5वां तल
एनबीसीसी सेंटर, ईस्ट किदवई नगर
दिल्ली – 110 023

महोदय/महोदया,

हम अधोहस्ताक्षरी, दिनांकित..... आपके प्रस्ताव हेतु अनुरोध सं. ..... के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईआईएफ़सीएल के जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के संचालन के लिए व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं, हम एतद्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव शामिल हैं। हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि इस प्रस्ताव में प्रस्तुत सभी जानकारी और कथन सत्य हैं और स्वीकार करते हैं कि इसमें निहित कोई भी गलत जानकारी हमारी अयोग्यता का कारण बन सकती है। हम समझते हैं कि आप प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

2. निविदा शुल्क: हम यूटीआर सं. _____ के माध्यम से निविदा शुल्क भेज चुके हैं।

3. धरोहर राशि (ईएमडी: हम यूटीआर सं. _____ के माध्यम से धरोहर राशि भेज चुके हैं। आरएफ़पी में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार धरोहर राशि (ईएमडी) को जब्त किया जा सकता है।

4. हम इस प्रस्ताव को आमंत्रण में निर्दिष्ट प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के लिए वैध रखने के लिए सहमत हैं।

5. हम इस परियोजना को शुरू करने के लिए सहमत हैं, यदि यह कार्य-क्षेत्र (विचारार्थ विषय) के अनुसार, आपके द्वारा आबंटित किया गया है।

6. हम आमंत्रण के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत एवं बाध्य हैं। हम इस प्रस्ताव को आमंत्रण की शर्तों के तहत और उसके अनुसार प्रस्तुत करते हैं।

7. हम प्रमाणित करते हैं कि जैसा कि निमंत्रण में वर्णित है, हम पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और उक्त हेतु प्रासंगिक दस्तावेज इस प्रस्ताव के साथ संलग्न किए गए हैं।

8. हम प्रमाणित करते हैं कि हम किसी भी नियामक/वैधानिक निकाय या सरकारी संस्था या किसी अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय एजेंसी/निजी/सार्वजनिक बैंक द्वारा भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार के लिए ब्लैकलिस्ट/बहिष्कृत/अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं।

9. हमें दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या किसी अदालत में हमारे खिलाफ कोई दिवालिया याचिका लंबित नहीं है।

10. न्यायालय में हमारे साथ ही हमारे निदेशकों/प्रवर्तकों के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा हमारे निदेशक/प्रवर्तक सहित हमारे विरुद्ध दोषसिद्ध नहीं हुआ है।

11. हम प्रमाणित करते हैं कि पूर्व में हम पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।

12. हम प्रमाणित करते हैं कि हम समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आईआईएफ़सीएल से संबंधित पार्टी नहीं हैं।

13. हम समझते हैं और सहमत हैं कि आईआईएफ़सीएल अपने विवेक और दृढ़ संकल्प पर इस आमंत्रण के जवाब में प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए कोई अन्य प्रासंगिक मापदंड जोड़ सकता है

और आईआईएफ़सीएल के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर आमंत्रण दस्तावेज के जवाब में प्रस्तुत किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम)
दिनांक:
स्थान:

मोबाइल सं./दूरभाष सं./फ़ैक्स
ई-मेल:
वेबसाइट:

संलग्नक:

1. वैध प्राधिकार पत्र के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में मुख्तारनामा (पीओए) – अनुलग्नक XI
2. आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी दस्तावेज़
3. घोषणा कि बोलीदाता किसी प्राधिकारी द्वारा अपात्रता की किसी घोषणा के अधीन नहीं होना चाहिए।
4. हितों के टकराव न होने का प्रमाणपत्र सह घोषणापत्र – अनुलग्नक IV
5. सत्यनिष्ठा अनुबंध– अनुलग्नक V
6. बोलीदाता बैंक विवरण प्रपत्र – अनुलग्नक VI
7. परियोजना के अनुभव को दर्शाने वाला प्रारूप – अनुलग्नक III
8. सूचना का प्रारूप – अनुलग्नक X

अनुलग्नक III

परियोजना अनुभव का प्रारूप

मानदंड हेतु सुसंगत परियोजना प्रत्यायक (परिचय पत्र) संलग्न किए जाने चाहिए **(जैसा कि तकनीकी प्रस्ताव खंड का मूल्यांकन में निर्दिष्ट)** :

परियोजना 1/2/.....

ग्राहक (क्लायेंट) का नाम	
परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	
परियोजना प्रकार :	
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान/भारत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	
कृपया नाम निर्दिष्ट करें कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान/भारत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है	
प्रभार योग्य परामर्श शुल्क (भारतीय रू. में)	
परियोजना हेतु बोलीदाता के द्वारा निष्पादित क्रियाकलाप	
वर्ष (प्रारंभ तिथि, समापन तिथि)	
अवधि	
संविदा मूल्य (भारतीय रू. में)	
* कार्य के लिए एलओआई/संविदा संलग्न करें	

हस्ताक्षर .....

---------- की हैसियत से (पदाधिकार)

..... की ओर से (कृते) हस्ताक्षर करने हेतु विधिवत प्राधिकृत

तारीख .....

स्थान .....

अनुलग्नक IV

हितों के टकराव न होने का प्रमाणपत्र सह घोषणापत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्य की प्रकृति के संबंध में आज की तिथि तक, हमारे _____ द्वारा आवेदन किए गए अन्य किसी संगठन, विभाग या पार्टी(यों) में किसी भी प्रकार के हितों के टकराव विद्यमान नहीं है एवं इस निर्दिष्ट कार्य के दौरान हम कोई निष्पादन/कार्य/नौकरी नहीं करेंगे जो आईआईएफ़सीएल के हित को प्रभावित करे।

दिनांक : –_____ बोलीदाता : –

नाम : –

स्थान : – _____ पदनाम : –

हस्ताक्षर : –

अनुलग्नक V

सत्यनिष्ठा अनुबंध

के मध्य

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190DL2006GOI144520 है, और इसका पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, कार्यालय ब्लॉक - 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 है । (इसके बाद इसे "आईआईएफसीएल" या "प्रिंसिपल" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारियों, हस्तांतरितियों, नियुक्तियों और नव नियुक्तियों को शामिल माना जाएगा);

और

----------, (एजेंसी/फर्म) को इसके बाद "बोलीदाता/ठेकेदार" के रूप में जाना जाएगा /सलाहकार"

प्रस्तावना

प्रिंसिपल, निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत, _____ के लिए अनुबंध प्रदान करने का इरादा रखता है। प्रिंसिपल भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और अपने बोलीदाताओं और / या ठेकेदारों / सलाहकारों के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता / पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रिंसिपल एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स ("मॉनिटर") ("आईईएम") नियुक्त करेगा जो ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए निविदा प्रक्रिया और अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा।

धारा 1 - प्रधान की प्रतिबद्धताएँ

1.प्रिंसिपल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है: -

क) प्रिंसिपल का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, किसी अनुबंध के लिए निविदा या निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए

किसी भी भौतिक या अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है। .

ख) प्रिंसिपल, निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्कपूर्ण व्यवहार करेगा। प्रिंसिपल विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोली लगाने वाले को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में लाभ प्राप्त कर सके। .

ग) प्रिंसिपल सभी ज्ञात पूर्वाग्रहग्रस्त व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर कर देगा।

2. यदि प्रिंसिपल को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी मिलती है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है, या यदि इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेगा.

धारा 2 - बोलीदाताओं/ठेकेदारों/सलाहकारों की प्रतिबद्धताएँ

बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

1. बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या निष्पादन में शामिल प्रिंसिपल के किसी भी कर्मचारी को प्रस्ताव, वादा या कुछ नहीं देंगे। निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान बदले में किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए अनुबंध या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई सामग्री या अन्य लाभ, जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

2. बोलीदाता/ठेकेदार/परामर्शदाता अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी अज्ञात समझौता या समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विशिष्टताओं, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को प्रस्तुत करने या न प्रस्तुत करने या प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइजेशन शुरू करने के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

3. बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे; इसके अलावा, बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, या व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को दूसरों को नहीं देंगे। योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रसारित जानकारी शामिल है।

4. विदेशी मूल के बोलीदाताओं/ठेकेदारों/सलाहकारों को भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, के नाम और पते का खुलासा करना होगा। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता वाले बोलीदाताओं) /ठेकेदारों/सलाहकारों को विदेशी मालिकों का नाम और पता, यदि कोई हो,

प्रस्तुत करना होगा। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देशों में उल्लिखित अतिरिक्त विवरण बोलीदाताओं/ठेकेदारों/परामर्शदाताओं द्वारा प्रकट किए जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि दिशानिर्देशों में बताया गया है, भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को किए गए सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में होने चाहिए।

5. बोलीदाता/ठेकेदार/परामर्शदाता, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अनुबंध देने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे या करने का इरादा रखते हैं। .

6. बोलीदाता तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएगा या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेगा।

7. सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सफल बोलीदाताओं को आईईएम में मामले का प्रतिनिधित्व करते समय अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाना होगा और वह मामले में उनके फैसले का इंतजार करेंगे।

धारा 3 - निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता एवं भविष्य से बाहर किये जाने वाले अनुबंध

यदि बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार ने पुरस्कार से पहले या निष्पादन के दौरान उपरोक्त धारा 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में कोई उल्लंघन किया है जैसे कि उनकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है, प्रिंसिपल को बोली लगाने वालों/ठेकेदारों/सलाहकारों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने का अधिकार है।

जीएफआर, 2017, पीसी अधिनियम, 1988 के मौजूदा प्रावधानों और अन्य वित्तीय नियमों/दिशानिर्देशों आदि के अनुसार, सत्यनिष्ठा समझौते का कोई भी उल्लंघन बोली लगाने वालों को अयोग्य ठहराया जाएगा और भविष्य के व्यापारिक लेनदेन से बाहर कर दिया जाएगा।

धारा 4- क्षति के लिए मुआवजा

1. यदि प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार परियोजना प्रदान करने से पहले बोली लगाने वाले/ठेकेदार/सलाहकार को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है, तो जमा की गई बयाना राशि (ईएमडी) /बोली सुरक्षा जमा करनी होगी। निविदा आमंत्रण की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव के साथ यदि कोई हो तो उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। बोली लगाने वाले/अनुबंध/सलाहकार समझते हैं और सहमत हैं कि यह ठेकेदार/सलाहकार/बोली लगाने वाले की अयोग्यता और बहिष्कार के अतिरिक्त होगा, जैसा कि ऊपर दिए गए अनुभाग 3 के प्रिंसिपल द्वारा लगाया गया है। .

2. यदि परियोजना सौंपने के बाद किसी भी समय, प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त कर दिया है, या यदि प्रिंसिपल धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त करने का हकदार है, तो सुरक्षा जमा / प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। एनआईटी/अनुबंध की

शर्तों के अनुसार सलाहकार, यदि कोई हो, अनुबंध की सामान्य/विशेष शर्तों के प्रासंगिक खंडों के तहत प्रिंसिपल को उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब्त कर लिया जाएगा।

धारा 5 - पिछला अपराध

1. बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 3 (तीन) वर्षों में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को उचित ठहरा सकता है।

2. यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

धारा 6 - सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों/सलाहकारों के साथ समान व्यवहार

1. बोली लगाने वाले/ठेकेदार/परामर्शदाता सभी उपठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे प्रिंसिपल को सौंपने का वचन देते हैं।

2. प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं, ठेकेदारों/सलाहकारों और उप-ठेकेदारों के साथ समान शर्तों के साथ समझौते में प्रवेश करेगा।

3. प्रिंसिपल उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

धारा 7 - उल्लंघन करने वाले बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों/सलाहकारों के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि प्रिंसिपल को किसी बोलीदाता, ठेकेदार/सलाहकार (कों) या उपठेकेदार या किसी कर्मचारी या किसी प्रतिनिधि या किसी बोलीदाता, ठेकेदार सलाहकार (ओं) या उपठेकेदार के किसी सहयोगी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो भ्रष्टाचार बनता है, या यदि प्रिंसिपल ने इस संबंध में पर्याप्त संदेह होने पर प्रिंसिपल इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देंगे।

धारा 8 - संधि अवधि

यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्ष इस पर कानूनी रूप से हस्ताक्षर कर देते हैं। यह अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 24 महीने बाद ठेकेदार के लिए समाप्त हो जाता है।

यदि इस दौरान कोई दावा किया/दर्ज किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा और ऊपर

निर्दिष्ट अनुसार इस समझौते की समाप्ति के बावजूद वैध बना रहेगा, जब तक कि इसे आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक द्वारा निर्वहन/निर्धारित नहीं किया जाता है।

धारा 9 – स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा अनुमोदन के बाद प्रिंसिपल इस समझौते के लिए सक्षम और विश्वसनीय मॉनिटर नियुक्त करता है। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करना है कि पार्टियां इस समझौते के तहत दायित्वों का अनुपालन करती हैं या नहीं और किस हद तक करती हैं।

2. मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को तटस्थ और स्वतंत्र रूप से करता है। जब भी आवश्यकता होगी मॉनिटर के पास सभी दस्तावेज़ों तक पहुंच होगी। बोलीदाताओं की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखना उसके लिए अनिवार्य होगा। वह एमडी/डीएमडी, आईआईएफसीएल को रिपोर्ट करता है।

3. बोलीदाता स्वीकार करता है कि मॉनिटर को बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए सहित प्रिंसिपल के सभी प्रोजेक्ट/असाइनमेंट दस्तावेज़ों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंचने का अधिकार है। बोलीदाता मॉनिटर को उसके अनुरोध और वैध रुचि प्रदर्शित करने पर, उनके प्रोजेक्ट/असाइनमेंट दस्तावेज़ीकरण तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच प्रदान करेगा।

4. मॉनिटर बोलीदाताओं की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के लिए संविदात्मक दायित्व के तहत है। मॉनिटर ने 'गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने' और 'हितों के टकराव की अनुपस्थिति' पर घोषणाओं पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बाद की तारीख में उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव के मामले में, मॉनिटर एमडी/डीएमडी, आईआईएफसीएल को सूचित करेगा और खुद को उस मामले से अलग कर लेगा।

5. प्रिंसिपल मॉनिटर को प्रोजेक्ट/असाइनमेंट से संबंधित पक्षों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकें प्रिंसिपल और बोलीदाता के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव डाल सकती हों। पार्टियाँ मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करती हैं।

6. जैसे ही मॉनिटर इस समझौते के उल्लंघन को नोटिस करता है, या नोटिस करने का विश्वास करता है, तो वह प्रिंसिपल के एमडी/डीएमडी को सूचित करेगा और एमडी/डीएमडी से इसे बंद करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। . मॉनिटर इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है।

7. मॉनिटर प्रिंसिपल द्वारा संदर्भ या सूचना दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एमडी/डीएमडी, आईआईएफसीएल को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, अवसर आने पर, समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

8. किसी भी निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायतों से निपटने में वांछित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, मामले की जांच आईईएम के पूरे पैनल द्वारा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए, जो रिकॉर्ड को देखेगा, जांच करेगा और अपनी संयुक्त सिफ़ारिशें एमडी/डीएमडी आईआईएफसीएल को प्रस्तुत करें।

9. यदि मॉनिटर ने एमडी/डीएमडी आईआईएफसीएल को प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत किसी अपराध के पुख्ता संदेह की सूचना दी है, और एमडी/डीएमडी आईआईएफसीएल ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है या रिपोर्ट नहीं की है। इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजें, मॉनिटर इस जानकारी को सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी भेज सकता है।

10. 'मॉनिटर' शब्द में एकवचन एवं बहुवचन दोनों सम्मिलित होंगे।

11. वारंटी/गारंटी आदि जैसे मुद्दे आईईएम के कर्तव्यों के दायरे से बाहर होने चाहिए।

12. आईईएम द्वारा किसी भी कदाचार के मामले में, एमडीडीएमडी को आयोग के अंत में उचित कार्रवाई के लिए विशिष्ट कदाचार का विवरण देते हुए इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के ध्यान में लाना चाहिए।

13. खरीद की प्रणाली में पारदर्शिता, समता और निष्पक्षता लाने के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए तो आईईएम संबंधित संगठन के प्रबंधन में प्रणालीगत सुधार का सुझाव दे सकते हैं।

14. संगठन के सीवीओ की भूमिका आईईएम की उपस्थिति से अप्रभावित रहेगी। आईईएम द्वारा जांच किए जा रहे मामले की सीवीओ द्वारा सीवीसी अधिनियम या सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार अलग से जांच की जा सकती है, यदि उसे कोई शिकायत प्राप्त होती है या आयोग द्वारा उसे निर्देशित किया जाता है।

धारा 10 - अन्य प्रावधान

1. यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। प्रदर्शन का स्थान और अधिकार क्षेत्र प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय, यानी नई दिल्ली है।

2. परिवर्तन और पूरक के साथ-साथ समाप्ति नोटिस भी लिखित रूप में दिए जाने चाहिए। साइड एग्रीमेंट नहीं किये गये हैं.

3. यदि बोलीदाता/ठेकेदार/सलाहकार एक साझेदारी, एक संयुक्त उद्यम या एक संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उप-ठेके के मामले में, मुख्य ठेकेदार उप-ठेकेदार द्वारा इंटीग्रिटी पैक्ट (आईपी) को अपनाने की जिम्मेदारी लेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी उप-ठेकेदार भी सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करें।

4. यदि इस समझौते के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस समझौते का शेष भाग वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगी।

आईआईएफसीएल में सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त किया है, जैसा कि विवरण अनुबंध ए में दिया गया है।

IIFCL

_____ _____

(प्रिंसिपल के लिए और उनकी ओर से)
(बोली लगाने वाले/ठेकेदार सलाहकार (ओं) के लिए और उनकी ओर से)
(कार्यालय सील)
(कार्यालय सील)

जगह: _____
तारीख: _____

गवाह 1:-
(नाम पता)
_____
_____

गवाह 2:-
(नाम पता)
_____
_____

"अनुलग्नक क "

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने श्री को नियुक्त किया है। आईआईएफसीएल में इंटीग्रिटी पैक्ट (आईपी) को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए विश्व पवन पति और श्री नाथूलाल मीना को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उनके पास सभी अनुबंध दस्तावेजों तक पहुंच होगी।

नाम: श्री नाथूलाल मीना संपर्क विवरण: nlmeena1@gmail.com)

नाम: श्री विश्वपावन पति संपर्क विवरण:
(vpati2000@yahoo.com)

अनुलग्नक VI

बोलीदाता के बैंक विवरण का प्रपत्र

(कृपया स्पष्ट शब्दों में जानकारी भरें)

बोलीदाता का नाम : _____

पता: _____

_____

राज्य _____ पिन कोड़ _____

ईमेल- आईडी: _____

दूरभाष संएसटीडी कोड सहित .: _____

मोबाइल नं.: _____

स्थायी खाता संख्या _____

3. बैंक खाते का विवरण:

लाभार्थी का नाम			
बैंक का नाम		शाखा का नाम	
शाखा का स्थान		शाखा का राज्य	
पिन कोड		शाखा कोड	
एमआईसीआर सं.		खाते का प्रकार	
खाता सं.		आईएफ़एससी	

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित विवरण सत्य एवं पूर्ण है। यदि लेन-देन में किसी भी प्रकार विलंब होता है या अपूर्ण या गलत जानकारी के कारणों से प्रभावित होता है, तो मैं आईआईएफ़सीएल को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं आरबीआई आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से राशि के ऋण के प्रयोजन हेतु रिकॉर्ड के अद्यतन की सुविधा के लिए अपने खाते के विवरण में किसी भी बदलाव की सलाह देने का भी वचन देता/देती हूं।

स्थान : _____

दिनांक : _____ पार्टी/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तुत विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

बैंक की मुहर :

दिनांक :

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

एन.बी.: आरटीजीएस / एनईएफटी यदि कोई हो, तो पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुलग्नक VII

वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रपत्र

(स्थान, दिनांक)
सेवा में,
आंतरिक लेखापरीक्षक
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)
प्लेट ए तथा बी, टॉवर 2 , 5वां तल,
एनबीसीसी सेंटर, ईस्ट किदवई नगर
नई दिल्ली- 110023
महोदय/महोदया,
हम अधोहस्ताक्षरी, प्रस्ताव संख्या _____ दिनांक: .....
हमारा संलग्न वित्तीय प्रस्ताव रुपये की राशि .... (राशि शब्दों और अंकों में डालें) हेतु आपके अनुरोध के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईआईएफ़सीएल के जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के संचालन के लिए व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं। यह राशि सभी प्रकार के करों को छोड़कर है। एतद्द्वारा हम पुष्टि करते हैं कि यह वित्तीय प्रस्ताव शर्तहीन है और हमें विदित है कि प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की शर्त जोड़ना हमारे वित्तीय प्रस्ताव के अस्वीकार/ परित्याग का परिणाम होगा।

2 हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उद्धृत मूल्य अपरिवर्तनीय है और परामर्श समनुदेशन की पूरी अवधि तक मान्य होंगे। इसके अलावा हम सहमत है कि उपरोक्त उद्धृत मूल्य में (करों के अलावा) सब कुछ समाहित है जो इस समनुदेशन के तहत देय हैं। इस साथ ही हम सहमत है कि उद्धृत मूल्य में यथा कथोक्त के पूर्ण समग्र (दायरे) आवृत माने जाएंगे।

3 हम यह भी समझते हैं कि जहां कही पर भी शब्दों एवं अंकों में वर्णित राशि के बीच अंतर उभरता है वहां पर शब्दों में वर्णित मूल्य ही मान्य होगा।

4 हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि कानून के अतर्गत कोई भी आयकर, सरचार्ज (अतिरिक्त प्रभार) देय होगा, हम उसके भुगतान के लिए सहमत है और उसे संबद्ध प्राधिकारण को भुगतान करेंगे।

5 हम घोषणा करते हैं कि आमंत्रण के अनुसार कड़ाई के साथ सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

6 हम पुष्टि करते हैं कि यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है तब तत्काल प्रभाव से काम की जिम्मेदारी ली जाएगी और समय के भीतर काम पूरा किया जाएगा।

7 हम पुष्टि करते हैं कि इलैक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से भुगतान जारी करने हेतु आईआईएफसीएल के द्वारा अपेक्षित बैंक विवरण हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

भवदीय,

हस्ताक्षर .....
---------- की हैसियत से (पदाधिकार) ..

. . . . . की ओर से (कृते) हस्ताक्षर करने हेतु विधिवत प्राधिकृत

तारीख . . . . . .

स्थान . . . . . .

अनुलग्नक VIII

निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी के प्रपत्र का प्रारूप

निष्पादन प्रतिभूति

सेवा में,
आंतरिक लेखापरीक्षक
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
प्लेट ए एवं बी, ब्लॉक-2, पांचवा तल
एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर
दिल्ली – 110 023

(इसके पश्चात ''आईआईएफसीएल'' के रूप में संदर्भित)

जबकि, आपके प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) निविदा संख्या---------- दिनांकित---------- के परिणामस्वरूप आपने दिनांक ---------- ---------- को मैसर्स ---------- के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया है जिसका कार्पोरेट कार्यालय ---------- ---------- पर स्थित है (इसके पश्चात ''बोलीदाता'' के रूप में संदर्भित) जोकि वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आईआईएफ़सीएल के जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के संचालन के लिए व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए है।
जबकि उक्त आरएफपी की भुगतान शर्तों के अनुसार, बोलीदाता को आईआईएफसीएल के पक्ष में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

और चूंकि, हम ---------- बैंक की शाखा कार्यालय -------- ---------- में बोलीदाता के अनुरोध पर (इसके बाद ''गारंटीकर्ता'' के रूप संदर्भित) स्पष्ट एवं निष्कपट रूप से गारंटी को ग्रहण करते हुए एक राशि ---------- -----(केवल ---------- रू) जो इससे अधिक न हो, का भुगतान, मान लीजिए कि आरएफपी की कीमत का 10% का तब भुगतान करना होगा, जब बोलीदाता के द्वारा आपके कथित क्रयादेश के तहत शर्तों का उल्लंघन अथवा आरोप्य कारणों से उल्लंघन हो, तो उसी खाते से होगा। यह गारंटी एक राशि तक सीमित है जो ---------- रू/- (केवल ---- ---------- रूपये) से अधिक नही होगी। आप गारंटी के तहत दावा की गई राशि और लिखित में अपना दावा प्राप्त करने पर, बिना किसी आपत्ति, विरोध या प्रतियोगिता के और बोलीदाता के संदर्भ के बिना आप हम पर लिखित रूप में एक मांग उठा सकते हैं, हम गारंटीकर्ता आईआईएफसीएल हेतु इस गारंटी के तहत लिखित दावा/मांग की प्राप्ति पर 24 घंटे की अवधि के

भीतर से भुगतान करेंगे।

हम गारंटीकर्ता, इसके साथ ही यह पुष्टि करते हैं कि आईआईएफसीएल की ओर से केवल एक पत्र पर कि बोलीदाता के द्वारा उसके दायित्वों में कोई उल्लंघन हुआ है या इस गारंटी को समाप्त करने का पर्याप्त कारण है, बिना किसी अन्य या अतिरिक्त प्रमाण के अंतिम निष्कर्ष के साथ गारंटीकर्ता समापन से आबद्ध होगा।
हमें इस व्यवसाय से खारिज या मुक्त नहीं किया जाएगा और आईआईएफ़सीएल एवं बोलीदाता के बीच किसी भी व्यवस्था, वैभिन्नता या उल्लंघन से, बोली दाता के अनुग्रह से या बिना किसी सहमति के या जानकारी यह गारंटी या बोलीदाता की ओर से कोई अन्य गारंटी या जमानत (प्रतिभूति) आईआईएफ़सीएल के कब्जे में हो, आईआईएफ़सीएल द्वारा मुक्त नहीं की जाएगी।
यह गारंटी एक सतत गारंटी होगी और आईआईएफसीएल के संविधान में किसी भी बदलाव के बाद भी गारंटीकर्ता या बोलीदाता के लिए मुक्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही यह गारंटी है कि इस गारंटी के तहत कोई भी भुगतान उपरोक्त गारटी के सदंर्भ में लिखित मांग की प्राप्ति पर ही की जाएगी।
ऐसा होते हुए भी यहां पर कुछ भी निहित होने पर, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता रू.---------- ----------(केवल----------रूपये) तक प्रतिबंधित है।
गारंटी पूर्णतः पूरी प्रभाव से विद्यमान रहेगी और आईआईएफ़सीएल परामर्श सेवाओं/समनुदेशन के प्रारंभ के सभी संविदात्मक दायित्वों के अधीन एवं संविदा की अवधि के दौरान 01(एक) वर्ष तक वैध रहेगी। तत्पश्चात, इस गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकारों को ज़ब्त कर लिया जाएगा और हम इसमें निहित सभी देयताओं से खारिज एवं मुक्त हो जाएंगे। तत्पश्चात यह गारंटी वापस किए जाने पर, हमारी ओर से गारंटी शून्य एवं निरस्त मानी जाएगी।

दिनांक :
स्थान :
कृते _____
(बैंक एवं बैंक शाखा)

अनुलग्नक IX

बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला क्षतिपूर्ति एवं गोपनीयता घोषणा पत्र

(वेंडर/सेवा प्रदाता के स्वीकृत किए जाने के दौरान परामर्शदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के द्वारा भरा जाए)

हम,

1. श्री ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... आयु लगभग..... वर्ष भारत का निवासी, (पता) ---------- ----------पर रहता हूं।

2. श्री ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... आयु लगभग..... वर्ष भारत का निवासी, (पता) ---------- ----------पर रहता हूं।

3. श्री ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... आयु लगभग..... वर्ष भारत का निवासी, (पता) ---------- ----------पर रहता हूं।

एक साझेदारी फर्म का भागीदार हूं जो अपना कारोबार (स्थान) ..... से कारोबार करता हूं (इसके पश्चात ''फर्म'' के रूप में संदर्भित है), दृढ़तापूर्वक घोषणा करता हूं और मेरी हैसियत निम्नानुसार है:

(i) हम कहते हैं कि हम फर्म में साझेदार है

(ii) मैं/ हम आईआईएफसीएल से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखूंगा/ रखेंगे और किसी भी बाहरी एजेंसी या व्यक्ति को आईआईएफसीएल की लिखित सहमति के बिना प्रकट नहीं करूंगा/करेंगे। इसके अंतर्गत पासवर्ड, एक्सेस कोड तथा मेरी कंपनी के कार्मिकों द्वारा प्रयुक्त किए जानेवाले पास फ्रेजेज आदि भी सम्मिलित हैं। मैं/हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी यूजर आईडीज/मैनुअल्स/ आईआईएफसीएल से संबंधित मुद्रित सूचना/ साफ्ट स्वरूप या हार्डवेयर के रूप में मेरी कंपनी के कार्मिकों द्वारा प्रयुक्त की जाती है वो आईआईएफसीएल के संबंधित व्यक्ति वापस की जाएगी/सौपी जाएगी। कंपनी को दिया गया समुदिष्ट कार्य के पूरा होने पर या कंपनी आईआईएफसीएल के दिशा निर्देश के अनुरूप वापस सौंप देगी।

(iii) मैं/हम क्षतिपूर्ति करूंगा और किसी भी हानि, क्षति, लागत, दावा एवं व्यय जो भी आईआईएफसीएल को हानि हो सकती है क्षतिपूरित करेगा या ऐसी किसी भी संबंधित चूक हेतु ---------- (कंपनी का नाम) भुगतान करेगी।

दिनांक

स्थान प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर .....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .....

पदनाम - .....

संगठन/कंपनी का नाम - .....

सील/मोहर

अनुलग्नक X

सूचना का प्रारूप

(बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले संस्थान के लेटर हैड पर)

सेवा में,
आंतरिक लेखापरीक्षक
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
प्लेट ए तथा बी, ब्लॉक-2, पांचवां तल,
एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली-110023

आईआईएफसीएल द्वारा जारी आरएफपी/निविदा सं._____ दिनांकित _____ के संदर्भ में, हम अपना विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

1. संगठन का नाम
2. वेबसाइट
3. स्थापना/निगमन/व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि
4. वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या
5. स्थायी खाता संख्या
6. बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण
   नाम
   पदनाम
   पता
   दूरभाष सं. (लैंडलाइन)
   मोबाइल संख्या
   फ़ैक्स संख्या
   ई-मेल पता
7. एक अलग अनुलग्नक में परियोजना प्रबंधक और परियोजना टीम के नाम प्रदान करें (बोलीदाता परियोजना निष्पादन के लिए समर्पित एक अनुभवी परियोजना प्रबंधक की नियुक्ति करेगा। बोलीदाता को परियोजना प्रबंधक का सीवी प्रदान करना चाहिए जो समान दायरे और जटिलता में परियोजनाओं को निष्पादित करने में सिद्ध अनुभव प्रदर्शित करता है)

क्रम सं	नाम	अर्हताएं	प्रमाणन	प्रमुख योग्यता	कुल अनुभव (वर्ष)	संस्थान में कुल अनुभव (वर्ष)
1						
2						
3						
4						
5						

(आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ें)

8. देश के विभिन्न भागों में कार्यालयों/प्रतिष्ठानों की संख्या
9. संपर्क व्यक्ति का विवरण:

नाम:
ई-मेल:

दूरभाष:

यह प्रमाणित किया जाता है, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, ऊपर दी गई सभी जानकारी सही है।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (पूर्ण और आद्याक्षर में)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम और शीर्षक:

संस्थान की मुहर
(अनुलग्नक के सभी पृष्ठों पर लेखा परीक्षा संस्थान के हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाए)

अनुलग्नक XI

बोली के लिए प्राधिकार पत्र

सेवा में,

आंतरिक लेखापरीक्षक

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

प्लेट ए तथा बी, ब्लॉक-2, पांचवां तल,

एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर,

नई दिल्ली-110023

महोदय/महोदया,

आईआईएफसीएल के प्रस्ताव हेतु अनुरोध के माध्यम से दिये गए कार्यक्षेत्र हेतु बोली दस्तावेजों और संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए हमारे संगठन की ओर से एतद्वारा श्री/सुश्री _____ को आरएफ़पी/निविदा सं. _____ दिनांकित ----------_____ को अधिकृत किया गया है। वह आरएफपी प्रक्रिया पूरी होने तक वह संगठन की ओर से निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत है।

ऐसे व्यक्ति को अधिकृत करने वाले व्यक्ति की (मुख्तारनामा) पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की प्रमाणित प्रति विधिवत प्रस्तुत की गई है।

नमूना हस्ताक्षर नीचे संलग्न है:

प्रतिनिधि के नमूना हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी का नाम (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ प्राधिकारी के पीओए की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी है)

नोट:

1) प्राधिकार का यह पत्र बोलीदाता (ओं) के लेटरहैड पर हो, जिसकी ओर से प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है एवं उस पर सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाए और बोलीदाता (ओं) को बाध्यकारी पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए। यह बोलीदाता(ओं) द्वारा उसके प्रस्ताव में शामिल किया जाए।